[2020] 14 एस. सी. आर 1

राजेश @सारकारी और ए. एन. आर.

वी.

हरियाणा राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1648)

नवंबर 03,2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

इंदू मल्होत्रा और इंद्रा बनर्जी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860s। 302 आर/डब्ल्यू। धारा 34-अभियोजन मामला कि

शिकायतकर्ता के बड़े बेटे की विश्वविद्यालय के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई

-

शिकायतकर्ता-पीडब्लू-4 और उनके छोटे बेटे-पीडब्लू-5 ने कहा कि उनके पास था

घटना को देखा और वे पीड़ित को अस्पताल ले गए-पीड़ित को मृत घोषित कर दिया गया-दोनों सहित तीन आरोपी व्यक्ति

अपीलार्थियों को पकड़ लिया गया और आरोपित किया गया-तीनों आरोपी

व्यक्तियों ने परीक्षण पहचान परेड से गुजरने से इनकार कर दिया और अनुरोध किया

दोषी नहीं-निचली अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया

हत्या करने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देने के लिए-तीनों अभियुक्त व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया-दो अभियुक्त व्यक्तियों ने अपील दायर की

उच्चतम न्यायालय के समक्ष-आयोजितः पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 ने अपने बयानों में स्पष्ट सुधार किए थे-पीडब्लू-4 ने कहा था कि उन्होंने,

पीडब्लू-5 ने 'एक अज्ञात व्यक्ति' के साथ पीड़ित को उठा लिया था।

उसे अस्पताल ले जाने के लिए स्थान-जबकि, पीडब्लू-5 में किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है इसके अलावा, रक्का ने संकेत दिया कि मृतक को एक 'एस' द्वारा लाया गया था और यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जो इंगित करती है कि न तो पीडब्लू-4 और न ही पीडब्लू-5 थे। अपराध स्थल पर मौजूद-डी. डब्ल्यू.-4 और डी. डब्ल्यू.-5 ने कहा कि

वे जो पीड़ित को अस्पताल ले गए थे और न तो पीडब्लू-4 और न ही पीडब्लू-5 घटना स्थल पर मौजूद थे न ही लेखक

एफ. आई. आर. No.781 (वर्तमान मामले में एफ. आई. आर.) के संदर्भ में तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट साक्ष्य के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच की गई थी

एफ. एस. एल. रिपोर्ट में दोनों में जो विसंगतियां देखी गईं उपर्युक्त एफ. आई. आर. के लेखकों द्वारा समझाया जा सकता था

एफ. एस. एल. रिपोर्ट और उनकी जांच नहीं किए जाने से आरोपी को संदेह का लाभ मिलेगा-जहां तक परीक्षण पहचान परेड का संबंध है

संबंधित, या तो सी. आर. पी. सी. या में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है

[2020] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 जो किसी को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है

पहचान परेड-टी. आई. पी. के दौरान पहचान का उद्देश्य आरोपी की पहचान को आश्वासन देना है-अपराध का पता लगाना विशुद्ध रूप से आरोपी द्वारा पहचान परेड से गुजरने से इनकार करने पर आधारित नहीं हो सकता है-वर्तमान मामले में,

घटना स्थल पर कथित नेत्र-गवाह पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 की उपस्थिति गंभीर संदेह में है-बैलिस्टिक साक्ष्य

खाली गोलियों और मृतक के शरीर से बरामद गोलियों को अपराध के कथित हथियार से जोड़ना है

विरोधाभासी और गंभीर दुर्बलताओं से ग्रस्त-इसलिए, टी. आई. पी. से गुजरने से इनकार करना गौण महत्व रखता है और यह सबूत का एक ठोस टुकड़ा होने के अभाव में स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता है-अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा और इस प्रकार, अपीलार्थी लाभ के हकदार हैं सन्देह हो रहा है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 की उपस्थिति

1.1 पीडब्लू4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान कहा कि उसने, पीडब्लू5 और "एक अज्ञात व्यक्ति" ने पीड़ित को उसके शरीर से उठा लिया था। उसे पीजीआईएमएस ले जाने के लिए जगह। दूसरी ओर, पीडब्लू5, अपने बयान के दौरान, किसी तीसरे की उपस्थिति का उल्लेख नहीं करता है।

वह व्यक्ति जो पीड़ित को अपने साथ अस्पताल ले गया। जबकि पीडब्लू4 का कहना है कि पुलिस 4 बजे अस्पताल पहुंचीः 00 दूसरी ओर, पी. डब्ल्यू. 5 को इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस अस्पताल कब पहुंची थी। अब, इस पृष्ठभूमि में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू4 और पीडब्लू5 द्वारा किए गए स्पष्ट सुधार हैं, जिनका इस बात पर असर पड़ता है कि वे कथित मामले के चश्मदीद गवाह थे या नहीं।

घटना। पीडब्लू4 और पीडब्लू5 दोनों ने साक्ष्य में अपने परीक्षण के दौरान पर्याप्त सुधार किए हैं। दोनों गवाहों ने मामले को मजबूत करने का प्रयास किया

अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति और घटना के चश्मदीद गवाह होने के संबंध में अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए कि उन्होंने पीड़ित को गोली मारने के बाद अस्पताल ले जाया था। एफ. आई. आर. में पीड़ित को अस्पताल ले जाने के बारे में किसी भी संदर्भ की अनुपस्थिति का इस बात पर असर पड़ता है कि क्या वे घटना के चश्मदीद गवाह थे। यह घटना राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. वी. में हुई।

हरियाणा राज्य

कॉलोनी, रोहतक "। 'एसएल' का संदर्भ एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जो इंगित करती है कि न तो पीडब्लू4 और न ही पीडब्लू5 थे। अपराध स्थल पर उपस्थित होने के कारण, घटना के बाद, यह पीडब्लू 4 या पीडब्लू 5 नहीं था, बल्कि एक तीसरा व्यक्ति था जिसने मृतक पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया था। सत्र न्यायालय ने जबकि

इस पहलू की सराहना करते हुए, बचाव पक्ष के इस तर्क को समझाया कि न तो पीडब्लू 4 और न ही पीडब्लू 5 घटनास्थल पर मौजूद थे।

अपराध, यह मानते हुए कि शायद वे दोनों मौजूद थे, लेकिन पीड़ित की हत्या को देखकर सदमे का सामना करना पड़ा था, यही कारण है कि डी. डब्ल्यू. 4 द्वारा रक्का पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, सत्र न्यायालय ने एक स्पष्टीकरण दिया था जो अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप नहीं है। दूसरा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं था कि पीड़ित को दो अन्य व्यक्तियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, जिन्हें अंततः बचाव पक्ष द्वारा डी. डब्ल्यू. 4 और डी. डब्ल्यू. 5 के रूप में सबूत के रूप में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि वास्तव में पीडब्लू4 और पीडब्लू5 पीड़ित को पीजीआईएमएस, रोहतक ले गए थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पीडब्लू4 ने कहा कि उसने, पीडब्लू5 और एक अज्ञात व्यक्ति ने ऐसा किया था, जबकि पीडब्लू5 ने कहा कि यह केवल पीडब्लू4 और उसने ही था जिसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। बचाव पक्ष ने अन्य गवाहों के साथ डी. डब्ल्यू. 4 और डी. डब्ल्यू. 5 को भी पेश किया। अपनी जाँच के दौरान, डी. डब्ल्यू. 4 ने कहा कि वह और डी. डब्ल्यू. 5 पीड़ित को अस्पताल ले गए थे और पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 के वहाँ पहुँचने के बाद अस्पताल पहुँच गए थे। डी. डब्ल्यू. 4 ने कहा कि वह और डी. डब्ल्यू. 5 पीड़ित को पीजीआईएमएस, रोहतक ले गए और अस्पताल पहुंचने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद ही पी. डब्ल्यू. 4 और अन्य रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। हालांकि रुकका

मृतक को [2020] 14 एस. सी. आर. में लाने वाले व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पीजीआईएमएस के रूप में 'एसएल', कैलाश कॉलोनी रोहतक के निवासी, व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि यह 'पी' (डीडब्ल्यू4) है जो कैलाश कॉलोनी, रोहतक के निवासी। डी. डब्ल्यू. 4 और डी. डब्ल्यू. 5 ने कहा कि वे ही थे जो पीड़ित को अस्पताल ले गए थे और न तो पी. डब्ल्यू. 4 और न ही पी. डब्ल्यू. 5 घटना स्थल पर मौजूद थे।

[पैरा 17] [24-ई-एच; 25-ए-एच]

2. एफएसएल रिपोर्ट

2.1 एफ. आई. आर. संख्या 311 से संबंधित दो एफ. एस. एल. रिपोर्ट हैं और तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट एफ. आई. आर. संख्या 781 के संबंध में पांच सीलबंद पार्सल के संबंध में 31 दिसंबर 2006 को पुलिस उपाधीक्षक (एच. ओ. रोहतक) के एक अग्रेषण ज्ञापन के संदर्भ में है। [पैरा 21] [27-एफ; 30-ई-एफ]

2.2 तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट के मूल्यांकन में, इस स्तर पर तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को चिह्नित करने की आवश्यकता हैः सबसे पहले, एफएसएल रिपोर्ट में एक

परिणाम में जो वर्णित किया गया है उसकी तुलना और विश्लेषण "देश में बनी पिस्तौल जिसे डब्ल्यू/2 के रूप में चिह्नित किया गया है जो 7.62mm कार्ट्रिज के लिए चैम्बर किया गया है"; दूसरा, एफ. एस. एल. रिपोर्ट में इसका कोई संदर्भ नहीं है।

पिस्तौल जिसे एफ. आई. आर. सं. 311 के संदर्भ में 25 सितंबर 2007 की दूसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में डब्ल्यू/1 के रूप में चिह्नित किया गया था और तीसरा, परिणाम धारा के तहत उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है कि पिस्तौल डब्ल्यू/2 (जो एकमात्र पिस्तौल है जिसका विश्लेषण किया गया है) एफ. आई. आर. सं. 311 में जांच के दौरान 'आर' से बरामद की गई थी। उपरोक्त पहलू

तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट के अनुसार वजन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। [पैरा 22] [32-ई-जी]

एफ. आई. आर. नं. 311 की जाँच के दौरान डब्ल्यू/1 और डब्ल्यू/2, दो पिस्तौलों में से केवल एक, डब्ल्यू/2, का विश्लेषण किया गया है, जो वर्तमान मामले में अपराध स्थल से बरामद किए गए कारतुसों और दागे गए गोलियों के संदर्भ में बताया गया है। पिस्तौल डब्ल्यू/1, जैसा कि 25 सितंबर 2007 की दूसरी एफएसएल रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राथमिकी संख्या 311 के संबंध में, अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया था। अभियुक्त 'आर' के कहने पर बरामद किया गया था जबकि पिस्तौल डब्ल्यू/2 कथित रूप से अभियुक्त 'ए' से बरामद की गई थी। वर्तमान मामले में तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में केवल राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. बनाम का बैलिस्टिक विश्लेषण है।

दो पिस्तौलों में से एक अर्थात् डब्ल्यू/2 और डब्ल्यू/1 नहीं। इसके अलावा, तीसरी एफएसएल रिपोर्ट में एक गलत बयान है कि डब्ल्यू/2 था 'आर' के कहने पर जब, जैसा कि इस न्यायालय ने देखा है, डब्ल्यू/2 एक वसूली है जिसे अभियोजन पक्ष ने किया था

एफ. आई. आर. सं. 311 में जाँच के दौरान अभियुक्त 'ए' से। दूसरे शब्दों में, पिस्तौल डब्ल्यू/1 को स्पष्ट रूप से बैलिस्टिक परीक्षा के उद्देश्य से परीक्षक को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

[पैरा 23] [32-जी-एच; 33-ए-सी]

2.4 अब इस पृष्ठभूमि में इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह था कि न तो लेखक ने

जब्ती के संदर्भ में प्रथम और द्वितीय एफ. एस. एल. रिपोर्ट और एफ. आई. आर. सं. 311 में डब्ल्यू/1 और डब्ल्यू/2 हथियारों की बरामदगी; न ही लेखक

एफ. आई. आर. No.781 (33 वर्तमान मामले में एफ. आई. आर.) के संदर्भ में तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट की अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के दौरान जांच की गई है। [पैरा 26] [33-एफ-जी]

2.5 कोई अनम्य नियम नहीं है जिसके लिए आवश्यक है

महत्व। वर्तमान मामले में, अपराध के हथियारों को एक अन्य प्राथमिकी (एफ. आई. आर. No.311 दिनांक 19 मई 2006) में जांच के संदर्भ में बरामद किया गया था। हथियार। उस मामले में W/1 और W/2 के रूप में चिह्नित किया गया था। वर्तमान में एफ. आई. आर. संख्या 781 में जांच से उत्पन्न तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट

मामला हथियार डब्ल्यू/1 से बिल्कुल भी नहीं निपटता है। इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, तीसरी एफएसएल रिपोर्ट में हथियार [2020] 14 एस. सी. आर. को गलत बताया गया है।

अभियुक्त 'आर' के लिए डब्ल्यू/2। बैलिस्टिक परीक्षक को हथियार डब्ल्यू/2 उपलब्ध कराया गया था या नहीं, यह एक ऐसा मामला था जिसे समझाया जा सकता था अगर अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य का नेतृत्व करता। अभियोजन पक्ष ने एक बैलिस्टिक परीक्षक को गवाह के रूप में उद्धृत किया और फिर भी, अपने साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया। इसे इस तथ्य के आलोक में जोड़ा जाना चाहिए कि पीडब्लू4 और पीडब्लू5 का चश्मदीद गवाह विवरण संदेह से मुक्त नहीं है। इस न्यायालय ने पीडब्लू4 और पीडब्लू5 के साक्ष्य का भी विश्लेषण किया है और कहा है कि इस बात पर संदेह का एक गंभीर तत्व है कि क्या वे घटना स्थल पर गवाह थे। इस संदर्भ में, न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि एफ. एस. एल. रिपोर्ट में देखी गई विसंगतियों को एफ. एस. एल. रिपोर्ट के लेखकों द्वारा एफ. आई. आर. संख्या 311/2006 और एफ. आई. आर. संख्या 781/2006 दोनों में सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता था। ऐसा न किए जाने पर, हमारे विचार में, अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार होगा। [पैरा 34] [38-एच; 39-ए-जी]

3. परीक्षण पहचान परेड से गुजरने से इनकार

3.1 राज्य ने आग्रह किया है कि साक्ष्य के दौरान साबित हुए तीनों प्रकाशनों में से,

केवल एक में अभियुक्तों के नाम थे। हालांकि, इस मामले में केंद्रीय बिंदु यह है कि क्या महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर जो पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 की प्रतिपरीक्षा के दौरान सामने आए हैं, अपीलार्थियों के खिलाफ टी. आई. पी. से गुजरने से इनकार करने के लिए एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अभिलेख पर साक्ष्य इंगित करता है कि न केवल मृतक के खिलाफ कई आपराधिक मामले थे, जिनमें से कुछ समझौते के कारण बरी हो गए थे, बल्कि अपीलकर्ताओं में से एक, 'आर' और मृतक आई. पी. सी. की धारा 454 और 380 के तहत 23 जून 45 2001 की एफ. आई. आर. संख्या 341 से उत्पन्न मामले में सह-अभियुक्त थे। स्पष्ट रूप से उन दोनों को मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, यही कारण है कि पीडब्लू5 ने अपदस्थ किया कि उसके पिता पीडब्लू4 अदालत जाते थे जब पीड़ित और 'आर' को सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर पेश किया जा रहा था। पीडब्लू4 ने यह भी कहा कि वह विभिन्न आपराधिक मामलों में अपने बेटे के लिए जमानत पर खड़ा रहा है। इस पृष्ठभूमि में,

अपीलार्थियों का यह तर्क कि टी. आई. पी. से गुजरने से इनकार इस तथ्य से होता है कि पीड़ित और 'आर' घटना से पहले एक-दूसरे को जानते थे और पी. डब्ल्यू. 4, जो एक प्रमुख आंख है, राजेश @सरकारी और ए. एन. आर. बनाम।

गवाह, जिसने 'आर' देखा था जब वह सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित होगा, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, वर्तमान जैसे मामले में, न्यायालय तथ्यों से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के बारे में सतर्क रहेगा, जैसा कि वे सामने आए हैं। किसी भी स्थिति में, टी. आई. पी. के दौरान पहचान का उद्देश्य अभियुक्त की पहचान का आश्वासन देना है। अपराध का निष्कर्ष विशुद्ध रूप से अभियुक्त द्वारा पहचान परेड से गुजरने से इनकार करने पर आधारित नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, घटना स्थल पर कथित चश्मदीद गवाह पीडब्लू4 और पीडब्लू5 की उपस्थिति गंभीर रूप से संदेह में है। बैलेस्टिक

मृतक के शरीर से बरामद गोलियों को कथित हथियार से जोड़ने वाले सबूत अपराध विरोधाभासी है और गंभीर दुर्बलताओं से ग्रस्त है। इसलिए, इस पृष्ठभूमि में, टी. आई. पी. से गुजरने से इनकार करना गौण महत्व रखता है, यदि बिल्कुल भी हो, और यह सबूत का एक ठोस टुकड़ा होने के अभाव में स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता है। [पैरा 39] [43-बी-एच; 44-ए]

मोहिंदर सिंह बनाम राज्य, एआईआर 1953 एससी 415; सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1995) 3 एससीसी 367: [1995] 2 एस. सी. आर. 1190; पंजाब राज्य बनाम जुगराज सिंह (2002) 3 एस. सी. सी. 234 [2002] 1 एस. सी. आर. 998; विनीत कुमार चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2007) 14 एस. सी. सी. 660: [2007] 13 एस. सी. आर. 727; गोविंदराजू बनाम राज्य, (2012) 4 एस. सी. सी. 722: [2012]

5 एस. सी. आर. 67-निर्भर।

राजस्थान राज्य बनाम। दाऊद खान, (2016) 2 एस. सी. सी. 607: [2015] 13 एस. सी. आर. 1131; मोहन सिंह बनाम एम. पी. राज्य (1999) 2 एससीसी 428: [1999] 1 एस. सी. आर. 276; गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1963] 3 एस. सी. आर. 585; मात्रू बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1971) 2 एस. सी. सी. 75: 1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 391]: [1971] 3 एससीआर 914; संतोख सिंह बनाम। इजहार हुसैन

(1973) 2 एससीसी 406: 1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 828; मलखानसिंह बनाम। एम. पी. राज्य (2003) 5 एस. सी. सी. 746: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1247; विश्वेश्वरन बनाम। राज्य (2003) 6 एससीसी 73; मुंशी सिंह गौतम बनाम। एम. पी. राज्य (2005) 9 एस. सी. सी. 631; सिद्धार्थ वशिष्ठ @मनु शर्मा बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2010) 6 एस. सी. सी. 1; अश्विनी कुमार और अन्य। वी.

0] 14 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंजाब राज्य (2015) 6 एस. सी. सी. 308; मुकेश और अन्य।

वी. एन. सी. टी. दिल्ली और अन्य के लिए राज्य। आकाशवाणी 2017 एससी 2161

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 13 एससीआर 1131

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1999] 1 एससीआर 276

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[1963] 3 एससीआर 585

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

[1995] 2 एससीआर 1190

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[2002] 1 एससीआर 998

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[2007] 13 एससीआर 727

उस पर भरोसा करें

पैरा 32

[2012] 5 एससीआर 67

उस पर भरोसा करें

पैरा 33

[1971] 3 एससीआर 914

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

(1973) 2 एस. सी. सी. 406

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

(2003) 5 एस. सी. सी. 746

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

(2003) 6 एससीसी 73

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

(2005) 9 एस. सी. सी. 631

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

(2010) 6 एससीसी 1

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

(2015) 6 एस. सी. सी. 308

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः

आपरा

धिक ऐप

2019 का सं. 1648

उच्च निगम के 17.01.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

20 के सी. आर. ए.-डी. 634-डी. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के

(ओ एंड एम)

दीपक ठुकराल, डी. ए. जी., राकेश खन्ना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अनिल हॉक

उपस्थित दलों के लिए रविंदर हुड्डा, जितेंद्र हुड्डा, अजय शर्मा, सुश्री अप्सना खटो प्रमोद कुमार, यादव नरेंदर सिंह और डॉ. मोनिका गुसैन, एसी।

राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. अपीलार्थी राजेश उर्फ सरकारी और अजय हुड्डा को सह-अभियुक्त 1 के साथ धारा के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। 302 भारत दंड संहिता 2 की धारा 34 के साथ पढ़ें और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. 26 दिसंबर 2006 को पुलिस चौकी, पीजीआईएमएस, रोहतक में एक रक्का 3 प्राप्त हुआ था कि आजाद सिंह हुड्डा के बेटे संदीप हुड्डा को वहां मृत लाया गया था। एएसआई, मेहा सिंह ने शिकायतकर्ता आजाद सिंह से पीजीआईएमएस, रोहतक के आपातकालीन वार्ड में मुलाकात की। आजाद सिंह ने एक बयान दिया जिसे लिखित में बदल दिया गया था, जिसके आधार पर रोहतक के पुलिस स्टेशन सदर में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसका बड़ा बेटा संदीप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतको में एल. एल. बी. डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। 26 दिसंबर 2006 को संदीप वकील के पास गया था।

परीक्षा की तैयारी के लिए विश्वविद्यालय में विभाग। शिकायतकर्ता का दामाद उनके घर आया था और संदीप से मिलने के बाद जाने की जल्दी में था। उन्होंने संदीप से उसके सेल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। शिकायतकर्ता और उसका छोटा बेटा सुनील फिर अपनी मोटर साइकिल से विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुए। लगभग 2 बजेः 30 शाम को जब वे कानून विभाग के निकट पार्किंग में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि टिन के शेड के नीचे खड़े 6 लोगों ने वहां खड़े संदीप पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। संदीप पर आरोप था कि वह नीचे गिर गया था, जिस पर शिकायतकर्ता और उसका बेटा सुनील मौके की ओर दौड़े। ये तीनों युवक चांदी के रंग की मोटर साइकिल से दिल्ली की सड़क की ओर भाग गए। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने मोटर-साइकिल का पंजीकरण संख्या नोट नहीं किया था, लेकिन हमलावरों की पहचान कर सकता था, अगर उन्हें उसके सामने लाया जाता। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि संदीप के दाहिने पैर, पेट, हाथ, बाएं पैर और जांघ से खून बह रहा था। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि संदीप को जिल सिंह हुड्डा के बेटे परवीन और संदीप की सैंट्रो कार में "एक अन्य व्यक्ति" द्वारा पीजीआईएमएस, रोहतक ले जाया गया था। हालांकि, हाथ में लगी चोटों के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शिकायतकर्ता,

1 पहलाद सिंह उर्फ हरपाल

2 2 आईपीसी

3 लिखित सूचना

4 एफ. आई. आर

5 सीआरपीसी

आजाद सिंह ने कहा कि उनके बेटे के कुछ लोगों के साथ संबंध बिगड़ गए थे

और उन लोगों ने उसे मार डाला था। 3. जाँच के परिणामस्वरूप, शुरू में, आरोपी राजेश उर्फ सरकारी और अजय हुड्डा को पकड़ लिया गया और उन्हें आरोपित किया गया। इसके बाद,

अभियुक्त पेहलाद को भी मुकदमे का सामना करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। धारा 302 के तहत अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने के कारण, दोनों अपीलार्थियों को 25 सितंबर 2007 के एक आदेश के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायाधीश, रोहतक के समक्ष परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। तत्पश्चात, अभियुक्त पहलाद के खिलाफ प्रस्तुत पूरक आरोप-पत्र के आधार पर, उसे 31 मार्च 2008 को जे. एम. एफ. सी. द्वारा सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे को 12 अप्रैल 2008 के एक आदेश द्वारा समेकित किया गया था। 8 मई 2008 को आरोप तय किए गए थे। सभी अभियुक्तों ने कहा कि वे

दोषी नहीं। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में 24 गवाहों से पूछताछ की, जैसा कि सत्र न्यायालय के फैसले में उल्लेख किया गया हैः

" 9. अभियोजन पक्ष ने चौबीस गवाहों से पूछताछ की जिनमें एच. सी. करण सिंह को पीडब्लू1, राम सिंह को पीडब्लू2, अजीत सिंह को पीडब्लू3, आजाद सिंह को पीडब्लू4, सुनील को पीडब्लू5, एस. आई. वजीर सिंह को पीडब्लू6, एस. आई. जगराम को पीडब्लू7, एच. सी. सत नारायण को पीडब्लू8, कांस्टेबल सुमित कुमार को पीडब्लू9, एस. आई.

कांस्टेबल राजीव गोदारा को पीडब्लू 12, एच. सी. विजय पाल को पीडब्लू 13, डॉ. सुषमा जैन को पीडब्लू 14, सेवानिवृत्त निरीक्षक राम मेहर सिंह को पीडब्लू 15, पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है। हेड कांस्टेबल रणबीर सिंह पीडब्लू 16 के रूप में, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार पी. डब्ल्यू. 17, इंस्पेक्टर/एस. एच. ओ. के रूप में

राजेंद्र सिंह को पीडब्लू 18, एस. आई. राम किशन को पीडब्लू 19, एच. सी. जय किशन को पीडब्लू 20, सेवानिवृत्त एस. आई. महा सिंह को पीडब्लू 21, सेवानिवृत्त ए. एस. आई. बलवान सिंह को पीडब्लू 22, एस. आई. बनारसी दास को पीडब्लू 23 के रूप में नियुक्त किया गया है। और पी. डब्ल्यू. 24 के रूप में ई. एच. सी. राम चंदर। सार्वजनिक रूप से सीखा

राज्य के अभियोजक ने भी एफ. एस. एल. की रिपोर्ट प्रस्तुत की सबूत में पी. डी. से पी. एफ. प्रदर्शित करता है। इसके बाद उन्होंने बंद कर दिया

अभियोजन पक्ष का साक्ष्य "।

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्टों को साक्ष्य में प्रदर्शनी पीडी-पीएफ के रूप में चिह्नित किया गया था। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उनके खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का समापन। उन्होंने बेगुनाही का दावा किया और कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। अपीलकर्ताओं में से एक, राजेश उर्फ राजेश @सरकारी और ए. एन. आर. बनाम।

हरियाणा राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

सरकारी ने कहा कि पीड़ित को एक अन्य मामले में सह-अभियुक्त के रूप में उसके साथ फंसाया गया था; कि उनके बीच कोई विवाद नहीं था और उसकी तस्वीरें समाचार पत्र में प्रकाशित की गई हैं। अभियुक्तों ने अपने बचाव के समर्थन में 5 गवाहों से पूछताछ की जैसा कि फैसले में उल्लेख किया गया है।

सत्र न्यायालय काः

" 11. ..... अभियुक्तों ने पाँच लोगों से पूछताछ की है।

डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में जिली सिंह, राजेश जोगपाल, अपने बचाव साक्ष्य में डीडब्ल्यू2 के रूप में कीपर, डीडब्ल्यू3 के रूप में शमशेर सिंह, डीडब्ल्यू4 के रूप में परवीन और डीडब्ल्यू5 के रूप में सिकंदर को दर्ज करें।

4. मुकदमे के दौरान, पीडब्लू1, हेड कांस्टेबल करण

उसका फ़ोन। 2 बजेः 30 शाम को जब वे कानून विभाग के साइकिल स्टैंड के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संदीप की कार वहां खड़ी थी। संदीप तीन लोगों के साथ साइकिल शेड के नीचे खड़ा था। जब पीडब्लू4 और पीडब्लू5 संदीप से लगभग 100 फीट की दूरी पर थे, तो उन्होंने देखा कि उस पर पिस्तौल या रिवॉल्वर से गोली चलाई जा रही थी। पीडब्लू4 ने अदालत में अपीलकर्ताओं की पहचान अपराध स्थल पर हमलावरों के रूप में की। कहा जाता है कि तीनों आरोपी अपराध को अंजाम देने के बाद घटनास्थल से चले गए थे। पीडब्लू4 ने अपने साक्ष्य के दौरान कहा कि इसके बाद, वह और पीडब्लू5 संदीप को सैंट्रो कार में पीजीआईएमएस, रोहतक के हताहत विभाग में ले गए, जहाँ उन्हें मृत लाया गया घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा है कि पुलिस अस्पताल पहुंची है और उसका बयान दर्ज किया है। प्रदर्शनी पी. बी. के रूप में कथन। पीडब्लू5 का निक्षेपण समान रूप से था। उल्लेखनीय है कि पीडब्लू4 और पीडब्लू5 दोनों ने कहा कि उन्होंने संदीप को उसकी कार में पीजीआईएमएस, रोहतक ले जाया था, जो उस प्राथमिकी से भिन्न थी जिसमें दर्ज किया गया था कि संदीप को "जिल सिंह हुड्डा के बेटे परवीन और एक अन्य व्यक्ति" द्वारा अस्पताल ले जाया गया था। पीडब्लू 7-सब इंस्पेक्टर जगराम ने बयान दिया कि एएसआई मेहा सिंह ने दो सीलबंद पार्सल जमा किए थे, जिनमें से एक में खून से सना मिट्टी था और दूसरे में 7 खाली [2020] 14 एस. सी. आर. थे।

कारतुस के साथ-साथ उनके साथ एक लीड, जिसे उन्होंने बाद में 8 जनवरी 2007 को एफएसएल, मधुबन को भेज दिया। पीडब्लू 9-कांस्टेबल सुमित कुमार ने प्रदर्शनी पीजे के रूप में चिह्नित एक स्केल्ड साइट-योजना तैयार की। पीडब्लू10-महेंद्र सिंह, एस. आई., पीडब्लू11-धरमबीर, ए. एस. आई., एस. आई. टी. अपराध शाखा, रोहिणी, पीडब्लू12 सिपाही राजीव गोदारा, डी. आर. के., एस. आई. टी. अपराध शाखा, रोहिणी, अभियुक्तों के प्रकटीकरण बयानों के सामने गवाही देते हैं, जिन्हें प्रदर्शनी पी. क्यू. और पी. आर. के रूप में चिह्नित किया गया है। पोस्टमॉर्टम पीडब्लू 14, डॉ. सुषमा जैन द्वारा किया गया था और इसे प्रदर्शनी पीएस और पीटी के रूप में चिह्नित किया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट 13 चोटों की उपस्थिति का संकेत देती है जिनका वर्णन निम्नानुसार किया गया हैः

" चोटः

1. प्रवेश घावः 1 से. मी. पीछे से दाएँ बाहरी श्रवण मीटस में स्थित खोपड़ी के दाहिने पश्चवर्ती क्षेत्र पर उल्टे मार्जिन के साथ 1.5 से. मी., 0.5 से. मी. आकार का एक घाव मौजूद था। घाव के चारों ओर काला पड़ना, खरटिदार चकत्ते मौजूद थे।

ट्रैक-बुलेट खोपड़ी की सभी परतों के माध्यम से छेद कर रहा था जिससे दाहिने पश्चवर्ती हड्डी का फ्रैक्चर हो रहा था और मस्तिष्क पदार्थ के माध्यम से और उसके माध्यम से गुजर रहा था जिससे मस्तिष्क पदार्थ का घाव हो रहा था और फिर समुदायों को बाएं लौकिक हड्डी की पेट्रस हड्डी का फ्रैक्चर हो रहा था और केवल मध्य से बाएं बाहरी श्रवण मांस तक पहुंच रहा था। गोली

बाहरी श्रवण मीटस को छोड़ने के लिए केवल मध्य में ठीक किया गया। मध्यम रूप से नीचे की ओर जाने और बाईं ओर पहुँचने के लिए बस मध्य से बाएं बाहरी श्रवण मीटस तक पहुँचें।

चोट संख्या 2:

5 से. मी. x 5 से. मी. आकार का एक प्रवेश घाव दाहिने हाथ के निचले हिस्से की पार्श्व सीमा पर दाएं अग्र-भुजा के किनारों के पार्श्व एपिकॉन्डाइल से 3 से. मी. ऊपर उल्टा और एक्चाइमोज्ड स्थित था। ऊपर की ओर जाने और त्वचा को मध्यवर्ती रूप से छेदने वाली त्वचा की कोमल समस्या और दाएँ ह्यूमरस हड्डी के ठीक ऊपर जाने वाली मांसपेशियां दाएँ अग्र-भुजा के मध्य एपिकॉन्डाइल से 3 सेमी ऊपर स्थित एक बिंदु तक पहुंचती हैं।

दाहिने हाथ के मध्य भाग का 1/3 भाग। गोली ठीक नीचे स्थित थी।

उस बिंदु पर त्वचा जहाँ ट्रैक समाप्त हो रहा था।

चोट संख्या 3 और 4।

3. एक प्रवेश घाव 1 से. मी. x 0.5 से. मी. बाईं कोहनी के जोड़ के ठीक ऊपर बाएं हाथ के पूर्ववर्ती पहलू पर 4 से. मी. पार्श्वीय मध्य एपनकॉन्डाइल (बाएं) किनारों को उल्टा और एक्चाइमोज्ड किया गया था।

राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ट्रैकः ट्रैक मध्य में जा रहा था और थोड़ा नीचे की ओर केवल त्वचा और एंटैनस ऊतक गहराई में जा रहा था।

4. बाहर निकलने वाला घाव 0.5 से. मी. x 0.5 से. मी. आकार का घाव बाएं हाथ के निचले 1/3 के मध्य भाग पर स्थित था और मध्य एपिकॉन्डाइल (बाएं) से 3.5 से. मी. ऊपर था। चोट संख्या 5:

1 से. मी. x 0.5 से. मी. आकार का एक प्रवेश घाव जिसमें उल्टा + और एक्चाइमोज्ड मार्जिन होता है और यह इसके मध्य भाग पर स्थित होता है। मध्य एपिकॉन्डाइल (बाएँ) से 13.5 सेमी नीचे बाएं अग्र-भुजा का 1/3 भाग। घाव के चारों ओर त्वचा का काला पड़ना मौजूद था। ट्रैक नीचे की ओर और पीछे की ओर जा रहा था-पार्श्व रूप से त्वचा, नरम ऊतक और मांसपेशियों को छेद रहा था और पीछे की ओर त्वचा के ठीक नीचे तक पहुंच रहा था।

कलाई के जोड़ से 12 सेंटीमीटर ऊपर बाएं अग्र-भुजा का पार्श्व पहलू और बाएं अग्र-भुजा और गोली के मध्य और पीछे से पार्श्व सीमा त्वचा के ठीक नीचे ट्रैक के अंतिम बिंदु से बरामद की गई थी।

चोट संख्या 6 और 7।

6. एक प्रवेश घाव दाहिने पेटेलॉन के पार्श्व छोर से 33 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित था, दाहिने जांघ के ऊपरी 1/3 वें हिस्से का पार्श्व पहलू 1.5 सेंटीमीटर x 0.5 सेंटीमीटर आकार का काला पड़ना, चररिंग और इकिमोसिस किनारों पर मौजूद था। मार्जिन उल्टा हो गया।

ट्रैकः

ट्रैक त्वचा और त्वचा के नीचे के ऊतकों से गुजर रहा था और ऊपर की ओर और मध्य में जा रहा था।

7. घाव से बाहर निकलेंः 2 से. मी. x 0.5 से. मी. आकार का बाहर निकलने वाला घाव दाहिने जांघ के ऊपरी 1/3 के पूर्ववर्ती पहलू से 12 से. मी. नीचे स्थित था और प्रवेश घाव से 6.5 से. मी. ऊपर था। चोट संख्या 8 और 9:

8. 1. 5 से. मी. x 0.5 से. मी. आकार का एक प्रवेश घाव घाव के चारों ओर मौजूद पूर्वकाल सुपीरियर इलियाक स्पाइन (बाएँ) के 10 से. मी. पार्श्व में स्थित था।

ट्रैकः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ट्रैक नीचे की ओर जा रहा था और त्वचा को बीच में छेद रहा था,

त्वचीय ऊतक, मांसपेशियाँ और फीमर के फ्रैक्चर का कारण बन रहे थे

(बाएँ) और बाहर निकलने वाले घाव तक पहुँचते हुए। 9. 5 से. मी. x 5 से. मी. आकार का घाव 32 से. मी. ऊपर स्थित था।

बाएँ पटेला का मध्य भाग। सीमाएँ अपरिवर्तित थीं।

चोट No.10 & 11:

10. प्रवेश का एक घाव 1.5 से. मी. x 0.5 से. मी. आकार का था जो दाहिने अग्रवर्ती उच्चतर इलियाक रीढ़ की हड्डी से 1.5 से. मी. ऊपर स्थित था।

पेट की दीवार। मार्जिन उल्टा हो गया था। ब्लैकनिंग और चाररिंग किनारों पर मौजूद थे।

ट्रैकः

ट्रैक बाईं ओर की ओर पीछे की ओर जा रहा था जो त्वचा के उपचर्म ऊतकों की पेट की मांसपेशियों को छेद रहा था और छोटे और बड़े आंत की चोट का कारण बन रहा था और बाहर निकलने के घाव तक पहुंच रहा था।

पीछे की ओर।

11. 0. 0 से. मी. x 0.0 से. मी. आकार का बाहर निकलने वाला घाव अग्रवर्ती ऊपरी इलियाक रीढ़ से 9 से. मी. ऊपर और 5 से. मी. ऊपर स्थित था।

पीठ के बाईं ओर पार्श्व से मध्य रेखा तक।

चोट No.12 और 13:

12. उल्टे किनारों के साथ 2 सेमी x 1.5 सेमी आकार का एक प्रवेश घाव 6 सेमी बेहतर मध्य से दाएं पूर्वकाल उच्चतर इलियाक रीढ़ पर स्थित था और घाव के चारों ओर घर्षण के 0.3 सेमी से 0.5 सेमी आकार के कॉलर से घिरा हुआ था। ट्रैक ऊपर की ओर और बाईं ओर जा रहा था और त्वचा के उपचर्म ऊतक को छेद रहा था

मांसपेशियों और छोटे और बड़े आंत को चोट पहुँचाना। 13. घाव से बाहर निकलेंः 0.5 से. मी. x 0.5 से. मी. आकार का निकास घाव निप्पल की रेखा के बाईं तटीय 2 से. मी. पार्श्व के ठीक नीचे स्थित था।

हृदय के दाहिने हिस्से में खून था। पेट आधा पच गया

भोजन। बाकी अंग सामान्य थे। ”

पीडब्लू10-महेंद्र सिंह, एस. आई. और पीडब्लू15-राम मेहर सिंह, डी. इंस्पेक्टर, दोनों ने कहा कि गिरफ्तारी पर, अपीलकर्ताओं ने परीक्षण पहचान परेड में जाने से इनकार कर दिया था। इस प्रकटीकरण के अनुसरण में राजेश उर्फ सरकारी को आरोपी बनाया गया, जो राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. बनाम वाली पल्सर मोटर-साइकिल थी।

हरियाणा राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

पंजीकरण सं। एचआर-10-एच/2241 24 जून 2007 को राजस्थान के सेक्टर IV भिवाड़ी में उनके आवास से बरामद किया गया था। पीडब्लू19-एस. आई. राम किशन ने अपने बयान के दौरान कहा कि आरोपी राजेश उर्फ सरकारी के पालम विहार, गुड़गांव में किराए के घर से एक पिस्तौल बरामद की गई थी। पीडब्लू19 ने गुड़गांव के गांव कार्टरपुरी में आरोपी अजय हुड्डा के किराए के घर से एक पिस्तौल की बरामदगी के लिए भी गवाही दी। द.

अभियुक्त के कहने पर आग्नेयास्त्र की बरामदगी की मांग की गई थी

पीडब्लू20-हेड कांस्टेबल जय किशन और पीडब्लू21-मेहा सिंह के साक्ष्य से पुष्टि हुई। पीडब्लू21-मेहा सिंह, एक पूर्व उप-निरीक्षक, ने 26 दिसंबर 2006 को पीजीआईएमएस, रोहतक से रक्का प्राप्त किया था। पीडब्लू21 पुलिस टीम का हिस्सा था जो अपराध स्थल पर पहुंची थी और घटनास्थल से सात खाली कारतुस और एक सीसा उठाया था।

5. 29 नवंबर 2007 की एफ. एस. एल. रिपोर्ट, जिसे प्रदर्शनी पी. डी. के रूप में चिह्नित किया गया है, में कहा गया है कि सात 7.62mm माउसर पिस्तौल से गोलियां चलाई गईं और एक

7.62 घटना स्थल से एम. एम. माउसर पिस्तौल से चलाई गई गोली बरामद की गई थी और दो विकृत और विकृत गोलियां बरामद की गई थीं।

मृतक के शरीर से बरामद किया गया था जिस पर देसी पिस्तौल से गोली चलाई गई थी। पिस्तौल पहले प्राप्त हुई थी

एफ. आई. आर., पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन्स, रोहतक में एफ. आई. आर. संख्या 311 है और कहा जाता है कि आरोपी राजेश उर्फ सरकारी से बरामद की गई थी।

6. बचाव पक्ष के पाँच गवाह, अपने बयान के दौरान,

कहा गयाः

((i)

डी. डब्ल्यू. 1-जिल सिंह ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अपने घर को बाहर जाने दिया था।

अजय हुड्डा को आरोपित किया और कहा कि पुलिस ने किसी भी बरामदगी के संबंध में घर का दौरा नहीं किया था। गवाह ने कहा कि उसने आरोपी अजय हुड्डा को देखा था।

अदालत में पहली बार;

((ख)

डी. डब्ल्यू. 2-राजेश जोगपाल, रिकॉर्ड कीपर ने कहा कि आरोपी

राजेश और मृतक संदीप ने आई. पी. सी. की धारा 454/380 के तहत पुलिस स्टेशन, सिविल लाइंस, रोहतक में दर्ज 23 जून 2001 की एफ. आई. आर. संख्या 341 से उत्पन्न एक मामले में मुकदमे का सामना किया था। इस मामले का फैसला 20 सितंबर को हुआ था।

2008. शिकायतकर्ता/पीडब्लू4 आजाद सिंह ने उक्त मामले में संदीप के लिए जमानत अर्जी दी थी।

(111) डी. डब्ल्यू. 3-शमशेर सिंह, कार्यकारी अधिकारी, हरि भूमि समाचार पत्र, रोहतक ने कहा कि [2020] 14 एस. सी. आर. के बारे में तीन समाचार आइटम।

यह घटना 23 को अखबार में प्रकाशित हुई थी।

फरवरी 2007,13 अप्रैल 2007 और 1 जुलाई 2007;

(iv) डी. डब्ल्यू. 4-परवीन, पुत्र ज़िले सिंह ने अपदस्थ किया कि घटना की तारीख को वह सिकंदर (डी. डब्ल्यू. 5) के साथ विश्वविद्यालय में विधि विभाग के साइकिल स्टैंड पर संदीप के साथ थे। संदीप खा रहा था।

शराब पीकर अपनी कार में बैठे और कुछ समय बाद अपनी कार शेड के अंदर खड़ी कर दी और जमीन पर बैठ गए जहाँ उन्होंने शराब पीना जारी रखा। कुछ देर बाद 5-6 लोग आए।

वहाँ दो मोटर साइकिलों पर सवार होकर संदीप पर अंधाधुंध गोलीबारी की। संदीप घायल अवस्था में नीचे गिर गया और उसे डी. डब्ल्यू. 4 और डी. डब्ल्यू. 5 द्वारा पीजीआईएमएस, रोहतक ले जाया गया, जहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डी. डब्ल्यू. 4 ने बताया कि संदीप के पिता और अन्य रिश्तेदार उनके आने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद मुर्दाघर पहुंचे। द.

पुलिस वहां पहुंची और उसका बयान दर्ज किया। डी. डब्ल्यू. 4 ने कहा कि मृतक के पिता (पी. डब्ल्यू. 4) घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और अदालत में पेश किए गए आरोपी हमलावर नहीं थे जिन्होंने गोली चलाई थी।

संदीप; और

(v)

डी. डब्ल्यू. 5-सिकंदर, पुत्र अशोक राठी, इसी तर्ज पर अपदस्थ किया गया

डी. डब्ल्यू. 4 को बताया कि वह और डी. डब्ल्यू. 4 संदीप को पीजीआईएमएस, रोहतक ले गए थे और संदीप के पिता और भाई को घटना के बारे में सूचित किया था, जो तदनुसार पहुंचे थे। पीजीआईएमएस, रोहतक।

एफएसएल रिपोर्ट, प्रदर्शनी डीवाई, डीवाई/1 और डीवाई/2 को भी बचाव साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

7. सत्र न्यायालय ने 12 जून 2012 के अपने फैसले में कहा,

निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष के मामले में सच्चाई का एक घेरा था और अपीलार्थी अपराध करने के लिए दोषी थे

संदीप की हत्या। अपीलार्थियों और सह-अभियुक्त पहलाद को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सत्र न्यायालय के फैसले से आहत तीनों अभियुक्तों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर की। 17 जनवरी 2019 के एक फैसले से, उच्च न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया।

एच @सारकारी और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य या। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत करते हुए, श्री राकेश

वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह कियाः

डब्ल्यू4 और पीडब्लू5 चश्मदीद गवाह नहीं हैं

घटना के लिए अविश्वसनीय हैं; एफ. आई. आर. जो इसके निकट दर्ज की गई थी

पीडब्लू 4 के बयान पर अपराध की घटना स्पष्ट रूप से बताती है कि संदीप को जिल सिंह हुड्डा के बेटे परवीन और एक अन्य व्यक्ति द्वारा अस्पताल ले जाया गया था। में पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 के बयान, वहाँ एक चिह्नित है

सुधार जब उन्होंने कहा कि उन दोनों के पास है

मृतक के साथ जो घायल हालत में था

पीजीआईएमएस, रोहतक;

जिल सिंह हुड्डा के बेटे परवीन ने डी. डब्ल्यू. 4 के रूप में गवाही दी और पुष्टि की कि वह और सिकंदर (डी. डब्ल्यू. 5) ही थे जो संदीप को अस्पताल ले गए थे। डी. डब्ल्यू. 4 और डी. डब्ल्यू. 5 दोनों ने कहा

कि पीडब्लू 4 और मृतक के अन्य रिश्तेदार 10 से 15 मिनट के बाद मुर्दाघर पहुंचे और न तो पीडब्लू 4 और न ही पीडब्लू 5 अपराध स्थल पर मौजूद थे; 26 दिसंबर 2006 को सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी (रक्का) में लिखा है कि मृतक संदीप को रोहतक के कैलाश कॉलोनी निवासी जिल सिंह हुड्डा के बेटे संदीप लहरी द्वारा पीजीआईएमएस, रोहतक लाया गया था। 'परवीन' के स्थान पर 'संदीप' लहरी नाम एक अनजाने में हुई गलती है जिसे जिल सिंह के बेटे के रूप में भी वर्णित किया गया है।

हुड्डा, कैलाश कॉलोनी, रोहतक के निवासी;

इंगित करता है कि चोट संख्या। 1 , 5 , 6 , 10 और 11 ने किनारों पर ब्लैकनिंग, चाररिंग और एक्कीमोसिस दिखाया। पीडब्लू4 ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी ने संदीप पर 4-5 फुट की दूरी से गोली चलाई। हालांकि, जैसा कि समझाया गया है राजस्थान राज्य बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। 'दाउद खान', चोटों का काला पड़ना केवल तभी देखा जा सकता है जब पिस्तौल को बहुत करीब से, यानी 2 फीट या उससे कम दूरी से दागा जाए। यह

सी. आर

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

और उपरोक्त आधारों पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि न तो पीडब्लू4 और न ही पीडब्लू5 इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं।

ई फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट

रिकॉर्ड पर तीन एफएसएल रिपोर्ट हैं-दो 2006 की एफ. आई. आर. संख्या 311 से संबंधित हैं और एक वर्तमान मामले से संबंधित है।

12 मार्च 2007 की पहली एफ. एस. एल. रिपोर्ट एफ़. आई. आर. नं. 311 से संबंधित है जिसमें घायल व्यक्तियों के कपड़ों वाले तीन पार्सल, एक <आई. डी. 1] गोली एक घायल व्यक्ति के शरीर से कुलदिप के नाम से ली गई, चार 7.65 एम. एम. गोलियां चलाई गईं। घटना स्थल से पिस्तौल कार्ट्रिज केस और एक 7.65mm जिंदा पिस्तौल कार्ट्रिज एकत्र किया गया था। एफ. एस. एल. रिपोर्ट तैयार होने के बाद, नमूनों को फिर से सील कर दिया गया।

एल. एस. वाई. (बी. ए. एल. एल.) एफ. एस. एल. (एच.) की मुहर;

एफ. एस. एल. की दूसरी रिपोर्ट 25 सितंबर 2007 की है जो एफ. आई. आर. संख्या 311 में दी गई है। पार्सल के विवरण और मुहरों की स्थिति में कहा गया है कि चार पार्सल प्राप्त हुए थेः दो आर. के. की मुहर के साथ और दो एल. एस. वाई. एस. ओ. एस. (बॉल) एफ. एस. एल. (एच) की मुहर के साथ। पहले पार्सल में मैगजीन के साथ 7.65mm कार्ट्रिज के लिए एक पिस्तौल कक्ष था। आरोपी राजेश के पास से एक 7.65mm फायर किया गया कार्ट्रिज केस और एक 7.65mm जीवित कार्ट्रिज बरामद किया गया है। पिस्तौल पर डब्ल्यू/1 और कार्ट्रिज केस पर सी/5 चिह्नित किया गया था। दूसरे पार्सल में एक पिस्तौल थी जो 7.62mm/0.30 "गोलियों के लिए रखी थी।

अभियुक्त अजय के पास से मैगजीन और एक 7.62mm मिसफायर्ड कार्ट्रिज बरामद किए जाने की बात कही गई है। पिस्तौल पर डब्ल्यू/2 और मिसफायर्ड कार्ट्रिज पर एमसी/1 के रूप में चिह्नित किया गया था। एल. एस. वाई. एस. ओ. एस. (बॉल) एफ. एस. एल. (एच) की मुहर वाले तीसरे पार्सल में 7.65 मिमी की एक गोली थी जिसे पहले से ही 12 मार्च 2007 की पहली एफ. एस. एल. रिपोर्ट में बी. सी./1 के रूप में चिह्नित किया गया था। चौथा पार्सल

इसमें एक संख्या और मुहर छाप एल. एस. वाई. एस. ओ. एस. (बॉल) एफ. एल. एस. (एच) थी और इसमें चार 7.65mm दागे गए कार्ट्रिज केस और एक 7.65mm जीवित कार्ट्रिज था (दागे गए कार्ट्रिज केस एच @सारकारी और ए. एन. आर. वी. थे।

हरियाणा राज्य या। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

12 मार्च 2007 की पहली एफएसएल रिपोर्ट में पहले से ही सी/1 से सी/4 के रूप में चिह्नित);

प्रयोगशाला परीक्षण में यह कहा गया था कि दोनों

पिस्तौल का परीक्षण किया गया और उनके फायरिंग तंत्र काम करने के क्रम में पाए गए। 7.65mm फायर किए गए कार्ट्रिज मामलों C/1 से C/5 पर मौजूद वर्ग के साथ-साथ व्यक्तिगत विशेषता के निशान, 7.62mm/0.30 "एमसी/1 चिह्नित गलत तरीके से दागे गए कार्ट्रिज, 7.65mm फायर किए गए बुलेट BC/1 और परीक्षण किए गए कार्ट्रिज मामलों और W/1 और W/2 चिह्नित पिस्तौल से दागे गए गोलियों की जांच की गई। नतीजतन, यह कहा गया कि पिस्तौल डब्ल्यू/1 और डब्ल्यू/2 काम करने के क्रम में थे। सी/5 चिह्नित 7.65mm कार्ट्रिज केस को पिस्तौल डब्ल्यू/से दागा गया था। 2. हालांकि, सी/1 से सी/4 और बी. सी./1 चिह्नित 7.65mm गोली वाले मामले पिस्तौल से नहीं दागे गए थे।

डब्ल्यू/1 के रूप में चिह्नित। जहाँ तक 7.62mm मिसफायर्ड कार्ट्रिज एमसी/1 का संबंध है, यह पिस्तौल डब्ल्यू/2 से मिसफायर्ड पाया गया था। सभी प्रदर्शनों को एल. एस. वाई. एस. एस. ओ. (बॉल) एफ. एस. एल. (एच) की मुहर के साथ उनके मूल आवरणों के साथ फिर से सील किया गया था। पार्सल संख्या 4 में प्राप्त एक 7.65mm कार्ट्रिज का प्रयोग प्रयोगशाला में परीक्षण फायरिंग में किया गया है। और

तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट दिनांक 29 नवंबर 2007 वर्तमान मामले में दर्ज एफ. आई. आर. संख्या 781 से संबंधित है। लेखों के विवरण में कहा गया है कि 8 जनवरी 2007 को पाँच पार्सल प्राप्त हुए थे। प्रस्तुतिकरण के अनुसार, बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा सील किए गए पार्सल की रसीद या विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है, उनकी 25 सितंबर 2007 की रिपोर्ट के अनुसार। पहले पार्सल में अन्य बातों के साथ-साथ खून से सना मिट्टी था, जिसे घटना स्थल से उठाया गया और सीरोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया। दूसरे पार्सल में घटना स्थल से बरामद सात 7.62mm माउसर पिस्तौल से दागे गए कार्ट्रिज केस और एक 7.62mm पिस्तौल से दागे गए बुलेट थे जिन्हें क्रमशः C/1 से C/7 और BC/1 के रूप में चिह्नित किया गया था। तीसरे और चौथे पार्सल में खून से सने कपड़े थे। पाँचवें पार्सल में दो 7.62mm विकृत और क्षत-विक्षत गोलियां हैं और दो सीसे के टुकड़े बताए गए हैं

मृतक के शरीर से बरामद, जिसे बी. सी./के रूप में चिह्नित किया गया है 2 , ईसा पूर्व/3, ईसा पूर्व/4 और ईसा पूर्व/5। प्रयोगशाला परीक्षण में, यह कहा गया है कि व्यक्तिगत विशेषता अंक [2020] 14 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सी/1 से सी/7 और 7.62mm के रूप में चिह्नित माउसर पिस्तौल से दागे गए गोलियों के मामलों पर मौजूद और एफ. आई. आर. संख्या 311 के संबंध में दूसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में प्राप्त देशी निर्मित पिस्तौल डब्ल्यू/2 (7.62mm गोलियों के लिए कक्ष) से दागे गए गोलियों और परीक्षण गोलियों पर मौजूद लोगों की जांच की गई। पार्सल 5 में बी. सी./4 और बी. सी./5 चिह्नित सीसे के टुकड़ों की भी जांच की गई। लीड पीस BC/4 एक 0.455 रिवॉल्वर की गोली पाई गई थी। राइफल चलाने के कोई नियमित निशान नहीं देखे गए।

उपरोक्त कथन के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है किः

25 सितंबर 2007 की दूसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट के अनुसार बैलिस्टिक परीक्षक द्वारा सील किए गए डब्ल्यू/2 के रूप में चिह्नित पिस्तौल और परीक्षण से दागी गई गोली वाले पार्सल को 29 नवंबर 2007 की तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में निहित लेखों के विवरण में स्वीकार किया गया था और उसका वर्णन नहीं किया गया था, जो एफ. आई. आर. संख्या 781 (वर्तमान मामला) से उत्पन्न हुआ था। यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि इसे लाया गया था

सहायक निदेशक, आर. के. कोशल, जिन्होंने पार्सल में निहित वस्तुओं की जांच की, के नोटिस में किसी भी 25 सितंबर 2007 की दूसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में जांचे गए पार्सल के साथ जांच के लिए प्राप्त पार्सल का संबंध;

7.62 मिमी/0.30 "कारतुस। हालाँकि, इस मामले में तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में प्राप्त गोलियों का विवरण 7.62mm मौसर पिस्तौल से दागे गए गोलियों के मामले हैं। पुनर्प्राप्ति घटना के स्थान के संबंध में ज्ञापन सात रिक्तियों और एस और बी 7.62 x 25 के विवरण वाले एक कार्ट्रिज को संदर्भित करता है, जबकि दूसरी एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 25 में

सितंबर 2007 का विवरण 7.62mm/0.30 "कार्ट्रिज है; और

हालांकि तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट के लेखक की तारीख 29 है।

नवंबर 2007 में कहा गया है कि सी/1 से सी/7 चिह्नित कार्ट्रिज केस और बी. सी./1 से बी. सी./3 चिह्नित गोली को डब्ल्यू/2 चिह्नित देसी पिस्तौल से दागा गया था, उक्त पिस्तौल को इस रिपोर्ट के लेखक राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. वी. के सामने कभी पेश नहीं किया गया था।

हरियाणा राज्य

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

और न ही उसके सामने इस बारे में कोई जानकारी रखी गई थी पिस्तौल डब्ल्यू/2 और कार्ट्रिज मामलों का सी/से परस्पर संबंध

1 सी/7 या दागे गए गोले बी. सी./1 से बी. सी./3 तक। वर्तमान मामले के आई. ओ., पी. डब्ल्यू. 21, ने अपने क्रॉस के दौरान जाँच ने स्वीकार किया कि खाली खोखरों पर पी4 से पी10 तक एक शिलालेख 7.62K 25 था, जो 25 सितंबर 2007 की दूसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट या 29 की तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में दर्ज विवरण से मेल नहीं खाता।

नवंबर 2007।

10. उपरोक्त विसंगतियों के आधार पर, यह आग्रह किया गया है कि

अपीलार्थियों की ओर से कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि पीडब्लू4 और पीडब्लू5 घटना स्थल पर चश्मदीद गवाह थे। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष एफ. एस. एल. रिपोर्ट की शुद्धता स्थापित करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के दौरान बैलिस्टिक परीक्षकों से पूछताछ नहीं की गई है। एफ. एस. एल. जांचकर्ताओं द्वारा जाँच के दौरान एफ. एस. एल. रिपोर्टों में विसंगतियों को समझाया जा सकता था। उनकी गैर-जाँच अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ को काटती है और अपीलार्थियों को बरी करने का अधिकार देती है।

11. दूसरी ओर, श्री दीपक ठुकराल ने खड़े रहना सीखा।

हरियाणा की ओर से पेश हुए वकील ने अपीलार्थियों की दलीलों का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है:

जहां तक पीडब्लू4 और पीडब्लू5 की उपस्थिति का संबंध है, सत्र

((i)

अदालत ने नोट किया कि मृतक को 13 चोटें आई थीं

फायर आर्म अटैक का परिणाम। पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5, जो अपनी मोटर साइकिल से घटना स्थल पर आए थे, संभवतः मृतक को दुपहिया वाहन से अस्पताल नहीं ले जा सकते थे और इसलिए यह डी. डब्ल्यू. 4-परवीन ही थे जिन्होंने घटना स्थल का दौरा किया।

वह मृतक की कार में;

((ख)

पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 की उपस्थिति की पुष्टि

अपराध स्थल इस तथ्य से स्थापित होता है कि मृतक का ट्रैक सूट पीडब्लू5 द्वारा पुलिस को सौंप दिया गया था। तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट के दौरान जिन लेखों की जांच की गई है, उनमें से एक मृतक का ट्रैक सूट है। यह

पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 की उपस्थिति का संकेत देगा;

(iii) पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 की विस्तार से जांच की गई।

घटना स्थल पर उपस्थिति। उनकी गवाही [2020] 14 एस. सी. आर. है।

चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई है जो बताता है कि मृत्यु हाथ में लगी व्यापक चोटों के कारण हुई थी;

((iv)

एफ. एस. एल. रिपोर्ट के संबंध में, परीक्षण कारतुस दागे गए थे

पिस्तौल डब्ल्यू/2 से और परीक्षण फायरिंग प्रयोगशाला में की गई थी। टेस्ट कार्ट्रिज और टेस्ट बुलेट की फिर से तुलना की गई। हालांकि, तीसरी एफएसएल रिपोर्ट में अनजाने में उल्लेख किया गया है कि पिस्तौल डब्ल्यू/2 राजेश के पास से बरामद की गई थी, हालांकि यह वास्तव में अजय के पास से बरामद की गई थी।

(v) हालांकि तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में पिस्तौल डब्ल्यू/1 का उल्लेख नहीं है।

जो राजेश से बरामद किया गया था, उसकी दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 34 के प्रावधानों के तहत कायम रखा जा सकता है, जिसमें आग्नेयास्त्र की चोटों की व्यापक प्रकृति और आग्नेयास्त्रों की बरामदगी को ध्यान में रखा गया है।

(vi) दोनों अपीलार्थियों ने परीक्षण पहचान परेड को अस्वीकार कर दिया।

और एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अपीलार्थियों का यह स्पष्टीकरण कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी तस्वीरें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थीं, इस तथ्य से गलत है कि

तीन समाचार पत्र प्रकाशनों में से केवल एक में उनके नामों का उल्लेख किया और उनमें से किसी ने भी उनके नाम प्रकाशित नहीं किए।

तस्वीरें;

(vii) एफ. एस. एल. रिपोर्ट बचाव पक्ष द्वारा दाखिल की गई थी।

सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के तहत अपीलार्थियों के बयान दर्ज किए गए, और बैलिस्टिक की जांच करने में विफलता

परीक्षक को उस दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए;

(viii) पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 का प्रत्यक्षदर्शी विवरण पाता है

चिकित्सा साक्ष्य और एफ. एस. एल. रिपोर्ट में पुष्टि;

और

(ix) हालांकि अपीलकर्ताओं ने इसे बदनाम करने की कोशिश की है

अभियोजन पक्ष के संस्करण में चोट के काले होने की ओर इशारा करते हुए, काला होना हमेशा गोलीबारी की निकट सीमा के कारण नहीं होता है, जैसा कि मोहन मामले में इस अदालत के फैसले में देखा गया है।

सिंह बनाम एम. पी. 9 का राज्य

12. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अब विचार किया जाएगा। मोटे तौर पर कहें तो

वर्तमान मामले में तीन क्षेत्रों में छूट दी गई हैः

9) 2 एस. सी. सी. 428 राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. बनाम। हरियाणा राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

क्या पीडब्लू 4 और 5 घटनास्थल पर चश्मदीद गवाह थे

((i)

26 दिसंबर 2006 को हुई घटना;

((ख)

तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट का वजन; और

(111) अभियुक्त अपीलार्थियों का परीक्षण कराने से इनकार

पहचान परेड।

13. उपरोक्त प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

पीडब्लू 4 की उपस्थिति-आजाद सिंह और पीडब्लू 5-सुनील सिंह

14. पीडब्लू4 शिकायतकर्ता है, मृतक का पिता। पीडब्लू 5 सुनील मृतक का भाई है। एफ़. आई. आर. दर्ज करती है कि सूचना पुलिस स्टेशन सदर, रोहतक में 5 बजे प्राप्त हुई थीः 20 26 दिसंबर 2006 को अपराह्न। सामान्य डायरी संदर्भ प्रविष्टि 22/2012 6 पर हैः 20 पीएम।

पीडब्लू4 के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि शिकायतकर्ता का दामाद मिलने आया था और मृतक संदीप से मिलना चाहता था। चूंकि संदीप अपने सेल फोन पर उपलब्ध नहीं था, पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 के बारे में कहा जाता है कि वे विश्वविद्यालय गए थे और जब वे कानून विभाग के पास पहुंचे तो उन्होंने "टिन के शेड के नीचे छह लड़कों" को देखा, जिन्होंने संदीप पर गोलीबारी शुरू कर दी। घटना 2 बजे हुई बताई जाती हैः 30 शाम को और उस पर चलाई गई बंदूक की गोलियों के बाद, कहा जाता है कि संदीप जमीन पर गिर गया था। एफ. आई. आर. के अनुसार आरोपी मौके से फरार हो गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि अगर उन्हें उनके सामने लाया जाए तो वह और उनका बेटा सुनील तीन युवा लड़कों की पहचान कर सकते हैं। एफ़. आई. आर. में एक विशिष्ट कथन है कि संदीप था कैलाश कॉलोनी, रोहतक के निवासी जिल सिंह हुड्डा के बेटे परवीन और एक अन्य लड़के द्वारा सेंट्रो कार में पीजीआईएमएस, रोहतक ले जाया गया जो मौके पर खड़ी थी।

15. पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 घटना के चश्मदीद गवाह हैं या नहीं, इस पर संदेह करने के लिए हमले की प्रमुख रेखा सुधारों पर आधारित है।

उनके बयान के दौरान किया गया। इन-चीफ की जाँच के दौरान, पीडब्लू4 ने कहा कि जब वह और पीडब्लू5 संदीप से 100 फुट की दूरी पर थे, तो उन्होंने "तीन लड़कों को गोली चलाते" देखा। उन्होंने अदालत में मौजूद तीन अभियुक्तों की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में करने का इरादा किया जिन्होंने उनके बेटे पर "पिस्तौल जैसे हथियारों से गोली चलाई थी और

रिवॉल्वर "। पीडब्लू4 ने तब कहा कि "हम [जिसका अर्थ है पीडब्लू4 और पीडब्लू5] अपने बेटे संदीप को सैंट्रो कार में दुर्घटना विभाग ले गए।

पीजीआईएमएस, रोहतक में मेरे बेटे के रूप में उसकी छाती, जांघों, बांह और टेंपल पर गोलियों की चोटें थीं। पीडब्लू4 का कहना है कि संदीप को लाया गया [2020] 14 एस. सी. आर. घोषित किया गया था।

डॉक्टरों द्वारा मृत और फिर पुलिस अस्पताल पहुंची और उसका बयान दर्ज किया, जिसे प्रदर्शनी पी. बी. के रूप में चिह्नित किया गया। जिरह के दौरान, पीडब्लू4 ने इस बात से इनकार किया कि घटना के समय सिकंदर राठी (डीडब्ल्यू5) और 'लहरी' (संभावित रूप से डीडब्ल्यू4 का उल्लेख करते हुए) अपने बेटे के साथ खड़े थे। जिरह के दौरान, पीडब्लू 4 को यह सुझाव दिया गया कि संदीप को उसके और पीडब्लू 5 द्वारा अस्पताल में नहीं ले जाया गया था और वास्तव में, यह सिकंदर राठी (डीडब्ल्यू 5) और 'लहरी' (डीडब्ल्यू 4) थे जो उसे अस्पताल ले गए थे। पीडब्लू4 ने इस सुझाव के साथ-साथ इस सुझाव का भी खंडन किया कि न तो वह और न ही पीडब्लू5 घटना स्थल पर मौजूद थे। पीडब्लू4 ने यह भी कहा कि उसके और पीडब्लू5 द्वारा पहने गए कपड़ों पर खून लगा हुआ था लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा एकत्र नहीं किया गया था। पीडब्लू4 के अनुसार, वह और पीडब्लू5 लगभग 2.45pm पर पीजीआईएमएस, रोहतक पहुंचे और पुलिस 4 बजे पहुंचीः 00 पी एम।

16. अपनी जाँच के दौरान, पीडब्लू 5 ने इसी तरह कहा कि संदीप को उसके और उसके पिता द्वारा अस्पताल ले जाया गया था।

पीडब्लू4 और यह कि उसने संदीप के ट्रैक सूट की शर्ट पुलिस को दे दी, जिसे उसने तब हटा दिया जब वे उसे अस्पताल ले जा रहे थे। पीडब्लू5 ने अपनी जिरह के दौरान कहा कि जब वह और पीडब्लू4 संदीप को अस्पताल ले गए तो उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, लेकिन न तो उन्होंने और न ही पीडब्लू4 ने उनके कपड़े पुलिस को सौंपे।

17. पीडब्लू4 ने अपनी जिरह के दौरान कहा कि उसने, पीडब्लू5 और "एक अज्ञात व्यक्ति" ने संदीप को मौके से उठा लिया था।

उसे पीजीआईएमएस, रोहतक ले जाएँ। दूसरी ओर, पीडब्लू5 ने अपने बयान के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया है जो संदीप को अपने साथ अस्पताल ले गया था। जबकि पीडब्लू4 का कहना है कि पुलिस 4 बजे अस्पताल पहुंचीः 00 दूसरी ओर, पी. डब्ल्यू. 5 को इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस अस्पताल कब पहुंची थी। अब, इस पृष्ठभूमि में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू4 द्वारा स्पष्ट सुधार किए गए हैं।

और पी. डब्ल्यू. 5, जिसका इस बात पर असर पड़ता है कि क्या वे कथित घटना के चश्मदीद गवाह थे। पीडब्लू4 और पीडब्लू5 दोनों ने काफी काम किया है।

साक्ष्य में उनकी जांच के दौरान सुधार। दोनों ने

गवाहों ने अपराध स्थल पर अपनी उपस्थिति और घटना के चश्मदीद गवाह होने के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले को यह कहते हुए मजबूत करने का प्रयास किया कि उन्होंने संदीप को गोली मारने के बाद अस्पताल ले जाया था। एफ. आई. आर. में संदीप को अस्पताल ले जाने का कोई संदर्भ नहीं होने से इस बात पर असर पड़ता है कि क्या वे घटना के चश्मदीद गवाह थे। घटना विश्वविद्यालय में हुई जहां मृतक एक छात्र था और पीडब्लू 4 के अनुसार, राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. बनाम।

अभियोजन के मामले के साथ। दूसरा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं था कि संदीप को दो अन्य व्यक्तियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, जिन्हें अंततः बचाव पक्ष द्वारा डी. डब्ल्यू. 4 (परवीन) और डी. डब्ल्यू. 5 (सिकंदर राठी) के रूप में सबूत के रूप में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि वास्तव में पीडब्लू4 और पीडब्लू5 ने लिया था संदीप पीजीआईएमएस, रोहतक गए। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, पीडब्लू4 ने कहा कि उसने, पीडब्लू5 और एक अज्ञात व्यक्ति ने ऐसा किया था, जबकि पीडब्लू5 ने कहा कि यह केवल पीडब्लू4 और उसने ही था जिसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। बचाव पक्ष ने अन्य गवाहों के साथ डी. डब्ल्यू. 4 और डी. डब्ल्यू. 5 को भी पेश किया। उसके क्रम में

जाँच में, डी. डब्ल्यू. 4 ने कहा कि वह और डी. डब्ल्यू. 5 संदीप को अस्पताल ले गए थे और पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 के वहाँ पहुँचने के बाद अस्पताल पहुँच गए थे। डी. डब्ल्यू. 4 ने कहा कि वह और डी. डब्ल्यू. 5 ने संदीप को पीजीआईएमएस, रोहतक ले गए और अस्पताल पहुंचने के लगभग 10 से 15 मिनट बाद ही पी. डब्ल्यू. 4 और अन्य रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। हालांकि रक्का में मृतक को पीजीआईएमएस लाने वाले व्यक्ति का नाम कैलाश कॉलोनी रोहतक निवासी जिल सिंह हुड्डा के बेटे संदीप लहरी के रूप में उल्लेख किया गया है, लेकिन व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि वह परवीन (डीडब्ल्यू 4) है जो जिल सिंह हुड्डा का बेटा है और कैलाश कॉलोनी, रोहतक का निवासी है। डीडब्ल्यू4 और डीडब्ल्यू5 ने कहा कि वे ही थे जो संदीप को अस्पताल ले गए थे और न तो पीडब्लू4 और न ही पीडब्लू5 घटना स्थल पर मौजूद थे।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अनुरोध किया

प्रस्तुत करने के लिए कि घटना स्थल पर पीडब्लू5 की उपस्थिति है इस तथ्य से पुष्टि हुई कि मृतक के ट्रैक सूट की शर्ट को पीडब्लू5 द्वारा पुलिस को सौंप दिया गया था और तीसरी एफएसएल रिपोर्ट में इसकी जांच की गई थी। पीडब्लू5 द्वारा मृतक संदीप का ट्रैक सूट अस्पताल में पुलिस को सौंपने से पीजीआईएमएस, रोहतक में उसकी उपस्थिति का संकेत मिलता है, लेकिन यह स्थापित नहीं होता है कि पीडब्लू4 या पीडब्लू5 आंख थे

विश्वविद्यालय में विधि विभाग के पास हुई घटना के गवाह। वास्तव में, डी. डब्ल्यू. 5 ने अपनी जांच के दौरान कहा कि उसने और डी. डब्ल्यू. 4 ने पिता और भाई को सूचित किया था कि मृतक और पुलिस ने भी उनके बयान दर्ज किए थे। डी. डब्ल्यू. 4 की उपस्थिति एक उचित अनुमान है जो रक्का से निकलता है। अभियोजन पक्ष को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, न तो डी. डब्ल्यू. 4

(परवीन) और न ही डी. डब्ल्यू. 5 (सिकंदर) को गवाह के रूप में पेश किया गया और डी. डब्ल्यू. 4 (परवीन) के साक्ष्य का नेतृत्व करने में अभियोजन पक्ष की विफलता एक ऐसा मामला है जिसका इस मुद्दे पर असर पड़ता है कि क्या पी. डब्ल्यू. 4 और पी. डब्ल्यू. 5 घटना स्थल पर वास्तविक चश्मदीद गवाह थे। अभिलेख पर जो सामग्री और साक्ष्य सामने आए हैं, वे घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति पर संदेह करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त, सत्र न्यायालय ने डी. डब्ल्यू. 4 और डी. डब्ल्यू. 5 के बयानों पर विचार नहीं किया, सिवाय इसके कि हमलावरों की आयु लगभग 30-35 वर्ष होने पर उनके बयान ने विश्वास को प्रेरित नहीं किया। इस महत्वपूर्ण पहलू पर सत्र न्यायालय के फैसले में चर्चा का उचित अभाव है।

हाथ में साक्ष्य का मूल्यांकन।

मृतक और अभियुक्त के बीच दुश्मनी/झगड़ा। पीडब्लू4 ने अपनी जिरह के दौरान कहा कि मृतक 2-3 मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा था, जिनमें से कुछ में उसे बरी कर दिया गया था। हालाँकि, पीडब्लू4 ने इस बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की कि क्या मृतक आरोपी राजेश उर्फ सरकारी के साथ सह-आरोपी था। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वह आरोपी राजेश को 23 जून 2001 की प्राथमिकी संख्या 341 वाले मामले में संदीप के साथ सह-आरोपी होने के कारण नहीं जानते थे। आई. पी. सी. की धारा 454/380 पुलिस स्टेशन, सिविल लाइन्स, रोहतक में या क्या उन्हें मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि संदीप और राजेश मामले में एक साथ पेश हुए और पीडब्लू 4 ने उस मामले की सुनवाई की हर तारीख को अदालत का दौरा किया, इसके बावजूद कि पीडब्लू 4 मृतक संदीप के लिए उस मामले में मुचलका था। एफ. आई. आर. में जो कहा गया था, उसके विपरीत, पी. डब्ल्यू. 4 ने अपनी जिरह के दौरान राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. बनाम.

बयान में कहा गया है कि घटना से पहले मृतक की किसी भी आरोपी के साथ कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी। पी. डब्ल्यू. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य का सामना किया कि मृतक आपराधिक मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा था और विशेष रूप से स्वीकार किया कि मृतक 2-3 मामलों में आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा था, जहां उसे समझौते के कारण बरी कर दिया गया था। पीडब्लू5 ने यह भी कहा कि वह इस बात से अनजान था कि क्या संदीप आईपीसी की धारा 454 और 380 के तहत प्राथमिकी संख्या 341 वाले मामले में राजेश के साथ सह-आरोपी था। हालांकि, उन्होंने कहाः

" यह कहना सही है कि मैं और मेरे पिता अदालत में तब आते थे जब मेरे भाई संदीप उर्फ भंडेर और वर्तमान आरोपी राजेश उर्फ सरकारी को सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर अदालत में पेश किया जा रहा था। मुझे नहीं पता कि उस मामले में मेरे भाई के वकील को किसने नियुक्त किया था और किसके लिए जमानतदार खड़ा था उसे "।

जैसा कि राज्य ने सुझाव दिया है, अपीलार्थियों द्वारा परीक्षण पहचान के लिए खुद को प्रस्तुत करने से इनकार करने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। परेड। इस पहलू पर निर्णय के बाद के भाग में चर्चा की जाएगी।

एफएसएल रिपोर्ट

21. अब अभिलेख के इस पहलू पर विचार करते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन हथियारों का कथित रूप से उपयोग किया गया था अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपराध के दौरान दो अपीलार्थियों को आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25,54,59 के तहत एक अन्य प्राथमिकी संख्या 311 के संबंध में जब्त किया गया था, जो दोनों अपीलार्थियों के खिलाफ 19 मई 2006 को पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, रोहतक में दर्ज किया गया था। एफ. आई. आर. संख्या 311 से संबंधित दो एफ. एस. एल. रिपोर्ट हैंः

1) 12 मार्च 2007 की पहली एफ. एस. एल. रिपोर्ट तीन पार्सलों से संबंधित हैः

उस मामले में घायल हुए कुलदिप के कपड़े; और

((i)

((ख)

बताया जाता है कि एक 7.65mm से चलाई गई गोली

घायल का शरीर चिह्नित बी. सी./1; और चार 7.65mm फायर किए गए पिस्तौल के कारतुस के मामले और एक 7.65 जिंदा पिस्तौल

घटना स्थल पर एकत्र किए गए कारतुस (सी/चिह्नित)

1 सी/4 और एल/1)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एफ. एस. एल. की पहली रिपोर्ट निम्नलिखित प्रभाव वाली हैः

श्रम परीक्षा

वर्ग के साथ-साथ व्यक्तिगत विशेषता चिह्न मौजूद हैं

7.65 सी/1 से सी/4 तक चिह्नित एमएम फायर किए गए कार्ट्रिज मामलों की जांच की गई

और अंतर-स्टीरियो और तुलना सूक्ष्मदर्शी के तहत तुलना।

7.65 बी. सी./1 चिह्नित एम. एम. से दागी गई गोली की भी स्टीरियो के तहत जांच की गई।

सूक्ष्मदर्शी। पार्सल नंबर 1 में कपड़ों के छेद की जांच की गई।

स्टीरियो माइक्रोस्कोप के तहत भी जांच की गई। प्रयोगशाला में की गई परीक्षा के आधार पर, विश्लेषण का परिणाम निम्नानुसार हैः

परिणाम

1 .

7.65 सी/1 से सी/4 तक चिह्नित एमएम फायर किए गए कार्ट्रिज केस हैं

एक और एक ही अग्नि भुजा से फायर किया गया।

2 .

7.65 बी. सी./1 चिह्नित एम. एम. से चलाई गई गोली एक से चलाई गई है।

देश ने आग्नेयास्त्र बनाया।

टी-शर्ट पर छेद और पार्सल नं.

3 .

1 गोलियों के प्रक्षेप्यों के कारण हुए हैं।

सीरोलॉजी विभाग की मूल रिपोर्ट संलग्न है।

4 .

इसके साथ।

ध्यान दें: परीक्षण के बाद बैलिस्टिक प्रभाग में प्रदर्शनों की जांच की गई

एल. एस. वाई. की मुहरों के साथ मूल आवरण के साथ सील किया गया। एलएल) एफएसएल (एच) "।

एफएसएल रिपोर्ट एल. एस. यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई है।

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन में एर (बैलिस्टिक),

अल।

2) 25 सितंबर 2007 की दूसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट (वर्णित)

एफ. आई. आर. सं. 311) के संबंध में कला रिपोर्ट 4 पार्सल से संबंधित है।

इनइंगः

राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. वी. हरियाणा राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

((i)

7.65mm कारतुस के लिए एक पिस्तौल कक्ष के साथ

अभियुक्त राजेश के पास से 7111 नंबर वाली मैगजीन, एक 7.65mm फायर किया गया कार्ट्रिज केस और एक 7.65mm जीवित कार्ट्रिज बरामद किया गया है। पिस्तौल पर डब्ल्यू/1 और कार्ट्रिज केस पर सी/5 अंकित था।

((ख)

7.62mm/0

".....

अभियुक्त अजय के पास से मैगजीन और एक 7.62mm मिसफायर्ड कार्ट्रिज बरामद किया गया है। पिस्तौल को चिह्नित किया गया था

डब्ल्यू/2 और मिसफायर्ड कार्ट्रिज एमसी/1;

एक 7.65mm चलाई गई गोली (पहले से ही एफ. एस. एल. सं. में बी. सी./1 बाजार में है।

(iii)

एफ-06/2193) जिसे पहली एफएसएल रिपोर्ट में संदर्भित किया गया है; और

(iv) चार 7.65mm दागे गए कार्ट्रिज केस और एक 7.65mm जीवित कार्ट्रिज (दागे गए कार्ट्रिज में C/1 से C/4 तक चिह्नित किए गए हैं।

पहली एफ. एस. एल. रिपोर्ट)।

दूसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं:

" श्रम परीक्षा

धुँआ रहित पाउडर के दहन के उत्पादों का पता W/1 (7.65mm कार्ट्रिज के लिए कक्ष), W/2 (7.62mm/के लिए कक्ष) चिह्नित पिस्तौल के बैरल से लगाया गया था। 30 . " कारतुस)। प्रयोगशाला में डब्ल्यू/1 चिह्नित पिस्तौल से परीक्षण गोलीबारी की गई।

डब्ल्यू/2। उनका फायरिंग तंत्र काम करने के क्रम में पाया गया।

वर्ग के साथ-साथ व्यक्तिगत विशेषता चिह्न मौजूद हैं

7.65 मिमी फायर किए गए कार्ट्रिज केस सी/1 से सी/5,7.62mm/। 30 " एम. सी./1,7.65mm फायर बुलेट बी. सी./1 के रूप में चिह्नित मिसफायर्ड कार्ट्रिज और परीक्षण किए गए कार्ट्रिज केस और डब्ल्यू./1 (7.65mm कार्ट्रिज के लिए कक्ष), डब्ल्यू./2 (7.62mm/30 "कार्ट्रिज के लिए कक्ष) के रूप

में चिह्नित पिस्तौल से दागे गए गोलियों की जांच की गई और स्टीरियो और तुलनात्मक सूक्ष्मदर्शी के तहत उनकी संबंधित क्षमता/बोर के साथ तुलना की गई।

प्रयोगशाला में की गई परीक्षा के आधार पर, विश्लेषण का परिणाम नीचे दिया गया है।

परिणाम

1 . डब्ल्यू/1 चिह्नित पिस्तौल (7.65mm कारतुसों के लिए कक्ष),

डब्ल्यू/2 (7.62mm/के लिए कक्ष। 30 " कारतुस) आग्नेयास्त्र हैं

जैसा कि 1959 के शस्त्र अधिनियम 54 में परिभाषित किया गया है।

तंत्र कार्य क्रम में पाए गए। पिस्तौल डब्ल्यू/1 और

डब्ल्यू/2 को निकाल दिया गया था। 7.65 सी/5 चिह्नित एमएम फायर किए गए कार्ट्रिज केस को फायर किया गया है।

2 .

डब्ल्यू/1 चिह्नित पिस्तौल से (7.65mm कारतुसियों के लिए कक्ष) और किसी अन्य आग्नेयास्त्र से नहीं, यहां तक कि उसी बनावट और बोर/क्षमता की, क्योंकि प्रत्येक आग्नेयास्त्र का अपना हथियार होता है।

व्यक्तिगत विशेषता चिह्न।

3 .

डब्ल्यू/2 चिह्नित पिस्तौल से (7.62mm/के लिए कक्ष। 30 " कारतुस) 7.65 सी/1 से सी/4 तक चिह्नित एमएम फायर किए गए कार्ट्रिज केस और

4 .

7.65 एम. एम. से दागे गए बुलेट बी. सी./1 को डब्ल्यू/1 चिह्नित पिस्तौल से नहीं दागा गया है (7.65mm कारतुसों के लिए कक्ष)

ध्यान दें: - 1) जाँच के बाद, प्रदर्शनों को उनके साथ फिर से सील कर दिया गया

एल. एस. वाई., एस. एस. ओ. (बी. ए. एल. एल.) की मुहर के साथ उनके मूल आवरण

एफएसएल। (एच)।

(ii) पार्सल नं. 1 में प्राप्त जीवित कार्ट्रिज का एक नंबर। IV का प्रयोग प्रयोगशाला में परीक्षण फायरिंग में किया गया है।

एफएसएल, मधुबन करनाल में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (बैलिस्टिक) एल. एस. यादव द्वारा दूसरी एफएसएल रिपोर्ट भी फिर से तैयार की गई है।

3) वर्तमान मामले में 29 नवंबर 2007 की तीसरी एफएसएल रिपोर्ट को प्रदर्शनी पीडी के रूप में चिह्नित किया गया है। तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट के संदर्भ में है - 31 दिसंबर 2006 को पुलिस उपाधीक्षक (एच. ओ. रोहतक) द्वारा 26 दिसंबर 2006 को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित एफ. आई. आर. संख्या 781 और पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस, रोहतक में शस्त्र अधिनियम की धारा 25,54 और 55 के संबंध में पांच सीलबंद पार्सल के संबंध में एक अग्रेषण ज्ञापन। कहा जाता है कि एफएसएल को 8 जनवरी 2007 को अग्रेषण ज्ञापन प्राप्त हुआ था। एफ. एस. एल. रिपोर्ट में पार्सल में पाँच वस्तुओं का विवरण इस प्रकार है:

खून से सना हुआ पृथ्वी घटना स्थल से उठाया गया;

((i)

((ख)

सात 7.62mm माउसर पिस्तौल से गोलियां चलाई गईं और एक

7.62 बताया जा रहा है कि घटना स्थल से एम. एम. मौसर पिस्तौल से चलाई गई गोली बरामद हुई है। कार्ट्रिज के मामले सी/1 से सी/3 और गोली बी. सी./1 के रूप में चिह्नित; राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. वी.

हरियाणा राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

गवाह द्वारा कार से खून से सना कपड़ा बरामद किया गया

और मृतक के खून से सने कपड़े; और

(iv) दो विकृत और क्षत-विक्षत गोलियां, मृतक के शरीर से दो सीसे के टुकड़े बरामद किए गए हैं (गोलियां बी. सी./2, बी. सी./3 और सीसे के टुकड़े हैं।

BC/4 और BC/5) हैं।

तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं:

" श्रम परीक्षा

7.62mm माउसर पिस्तौल पर C/1 से C/7 और 7.62mm माउसर पिस्तौल पर BC/1 से BC/3 चिह्नित गोलियां चलाई जाती हैं और जो टेस्ट कैरिज और टेस्ट बुलेट पर होते हैं, वे देसी पिस्तौल से W/2 चिह्नित किए जाते हैं (7.62mm कार्ट्रिज के लिए कक्ष) [मामले में प्राप्त एफ. एस. एल. संख्या 07/एफ-3937 एफ. आई. आर. संख्या 311 दिनांक 19.05.06 यू./एस. 307/34 आई. पी. सी. और 25/54/59 A.Act पी. एस. सिविल लाइन रोहतक 25.06.07) की जांच की गई और स्टीरियो और तुलनात्मक सूक्ष्मदर्शी के तहत तुलना की गई।

पार्सल नं. में निहित कपड़े। बंदूक की गोली से निकलने वाले अवशेषों की उपस्थिति के लिए III और IV की जांच की गई। तांबा और लीड इन

पार्सल संख्या III और IV में निहित कपड़ों पर छेद के किनारों से निशान पाए गए। कपड़ों पर छेद की भी स्टीरियो माइक्रोस्कोप के तहत जांच की गई थी। बी. सी./4 और बी. सी./5 चिह्नित सीसे के टुकड़े पार्सल नं. वी की जाँच की गई। ईसा पूर्व/4 चिह्नित लीड पीस 455 "घूमती हुई गोली पाई गई। स्टीरियोमाइक्रोस्कोप के तहत जांच करने पर बी. सी./4 पर कोई नियमित राइफल के निशान नहीं देखे गए।

प्रयोगशाला में की गई परीक्षा के आधार पर, विश्लेषण का परिणाम निम्नानुसार है:

परिणाम

1 .

7.62 बी. सी./1 से बी. सी./3 के रूप में चिह्नित एम. एम. से दागी गई गोलियों को 7.62mm कारतुसों के लिए डब्ल्यू/2 चिह्नित देशी पिस्तौल से दागा गया है) [एफ. एस. एल. सं. 07/एफ.-3937 मामले में प्राप्त एफ. आई. आर. सं. 311 दिनांक 19.05.06 U/S 307/34 आई. पी. सी. और 25/54/59 A.Act पीएस सिविल लाइन रोहतक को 25.6.07 राजेश @सरकार पर बरामद किया गया)

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और किसी अन्य आग्नेयास्त्र से भी नहीं, यहां तक कि एक ही बनावट और बोर के, क्योंकि प्रत्येक आग्नेयास्त्र की अपनी व्यक्तिगत विशेषताएँ होती हैं।

कपड़ों पर छेद जो पार्सल नं. III और IV

2 .

गोलियों के प्रक्षेप्यों के कारण हुए हैं।

3 .

सीसा टुकड़ा जिसे बी. सी./5 के रूप में चिह्नित किया गया है, पार्सल नं. वी. गोली के मूल का हिस्सा बन सकता है।

4 .

ईसा पूर्व/4 चिह्नित सीसे का टुकड़ा विकृत पाया गया

और क्षत-विक्षत। 455 " रिवॉल्वर की गोली। कोई नियमित राइफल के निशान नहीं

ईसा पूर्व/4 को देखा गया था।

सीरोलॉजी विभाग की मूल रिपोर्ट संलग्न है।

5 .

इसके साथ। ध्यान दें: -i) बैलिस्टिक डिवीजन में जांची गई प्रदर्शनी को उनके मूल आवरण के साथ सील कर दिया गया था।

ए. डी. (बी. ए. एल. एल.)/एफ. एस. एल. (एच) "।

तीसरी एफएसएल रिपोर्ट फोरेंसिक साइंस में सहायक निदेशक (बैलिस्टिक) आर. के. कोशल द्वारा तैयार की गई है। प्रयोगशाला, मधुबन, करनाल।

22. तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट के मूल्यांकन में, इस स्तर पर तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को चिह्नित करने की आवश्यकता है: सबसे पहले, एफएसएल रिपोर्ट में एक तुलना है और परिणाम में जो वर्णित किया गया है उसका विश्लेषण "देश में बनी पिस्तौल जिसे डब्ल्यू/2 के रूप में चिह्नित किया गया है जो 7.62mm कारतुसों के लिए कक्ष में है"; दूसरा, एफ. एस. एल. रिपोर्ट।

एफ. आई. आर. संख्या 311 के संदर्भ में 25 सितंबर 2007 की दूसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में डब्ल्यू/1 के रूप में चिह्नित पिस्तौल का कोई संदर्भ नहीं है और परिणाम धारा के तहत उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है कि एफ. आई. आर. संख्या 311 में जांच के दौरान राजेश उर्फ सरकारी से डब्ल्यू/2 (जो एकमात्र पिस्तौल है जिसका विश्लेषण किया गया है) बरामद किया गया था। उपरोक्त पहलुओं का तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट के भार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

23. जिन तीन पहलुओं पर ऊपर प्रकाश डाला गया है

यह दर्शाता है कि, एफ. आई. आर. सं. 311 की जाँच के दौरान डब्ल्यू/1 और डब्ल्यू/2 के रूप में चिह्नित पिस्तौल की कथित दो बरामदगी में से, दो पिस्तौल, अर्थात् डब्ल्यू/2 में से केवल एक का विश्लेषण किया गया है। एफ. आई. आर. सं. 25 सितंबर 2007 के संबंध में दूसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट के रूप में पिस्तौल डब्ल्यू/1।

311 इंगित करता है, अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी राजेश के कहने पर बरामद किए जाने का आरोप लगाया गया था, जबकि पिस्तौल डब्ल्यू/2 कथित रूप से बरामद की गई थी

अभियुक्त अजय से। वर्तमान मामले में तीसरी एफएसएल रिपोर्ट में दो पिस्तौलों में से केवल एक डब्ल्यू/2 का बैलिस्टिक विश्लेषण है न कि डब्ल्यू/2 का। 1. इसके अलावा, तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट में एक गलत बयान है कि डब्ल्यू/2 को राजेश के कहने पर बरामद किया गया था, जब, जैसा कि हमने देखा है, डब्ल्यू/2 एक वसूली है जिसे अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि उससे किया गया था। एफ. आई. आर. नं. 311 में जाँच के दौरान अजय को आरोपित किया गया। दूसरे शब्दों में, पिस्तौल डब्ल्यू/1 को स्पष्ट रूप से बैलिस्टिक परीक्षा के उद्देश्य से परीक्षक को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

24. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील भी निम्नलिखित विसंगतियों पर प्रकाश डालते हैं:

जबकि साइट पर की गई वसूली का वर्णन किया गया है

((i)

एफ. आई. आर. सं. 311 के संदर्भ में एफ. एस. एल. रिपोर्ट में 7.62/25 एम. एम. के कारतुसों के संदर्भ में 7.62/30 एम. एम. का उल्लेख है।

((ख)

बैलिस्टिक के उद्देश्यों के लिए क्या परीक्षण किया गया था

एफ. आई. आर. No.311 में जाँच 7.62/30 एम. एम. की गोलियाँ थीं;

और

जबकि तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट दिनांक 29 नवंबर 2007 में

(iii)

वर्तमान मामला मौसर पिस्तौल से चलाई गई गोलियों को संदर्भित करता है, निष्कर्ष इस मायने में भिन्न है कि यह बनाए गए देश को संदर्भित करता है

पिस्तौल।

25. अपीलार्थियों का प्रस्तुतिकरण वह हथियार है जो

26. अब इस पृष्ठभूमि में इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह था कि न तो पहले और दूसरे के लेखक ने एफ. एस. एल. एफ. आई. आर. सं. 311 में हथियार डब्ल्यू/1 और डब्ल्यू/2 की जब्ती और बरामदगी के संदर्भ में रिपोर्ट करता है; न ही एफ. आई. आर. No.781 (वर्तमान मामले में एफ. आई. आर.) के संदर्भ में तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट के लेखक की अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के दौरान जांच की गई है।

27. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने बैलिस्टिक की जांच करने में अभियोजन पक्ष की विफलता को समझाने की मांग की साक्ष्य में परीक्षक यह प्रस्तुत करते हुए कि एफ. एस. एल. रिपोर्ट एक [2020] 14 एस. सी. आर. के रूप में थी।

वास्तव में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थियों के बयान दर्ज किए जाने के बाद बचाव पक्ष द्वारा दायर किया गया। यह निवेदन, विशेष रूप से, अपीलार्थियों की शिकायत के जवाब में किया गया था कि धारा 313 के तहत बयानों में, केवल पीडी और पीएफ को आरोपी का ध्यान आकर्षित किया गया था। राज्य के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि चूंकि एफ. एस. एल. रिपोर्ट बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है, इसलिए अभियोजन पक्ष की बैलिस्टिक परीक्षक की जांच करने में विफलता स्पष्ट है।

28. इस संदर्भ में, अब संक्षेप में विज्ञापन देना आवश्यक होगा

कानूनी स्थिति। मोहिंदर सिंह बनाम राज्य 0 ("मोहिंदर सिंह") में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी कीः

" 12. एक ऐसे मामले में जहां मृत्यु चोटों या घावों के कारण होती है एक घातक हथियार के कारण, इसे हमेशा माना गया है

अभियोजन पक्ष का कर्तव्य होगा कि वह विशेषज्ञ द्वारा साबित करे

सबूत है कि यह चोटों के लिए संभावित या कम से कम संभव था जिस हथियार के साथ और में किया गया है

जिस तरह से उन पर आरोप लगाया गया है। यह है। प्राथमिक कि जहाँ अभियोजन पक्ष के पास एक निश्चित या

सकारात्मक मामले में, उसे उस पूरे मामले को साबित करना होगा। में

मामला, यह संदेहपूर्ण है कि क्या चोटें हैं

अपीलार्थी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया बंदूक या एक बंदूक के कारण हुआ था राइफल। वास्तव में, यह अधिक संभावना है कि वे एक के कारण थे

बंदूक की तुलना में राइफल, और फिर भी अभियोजन पक्ष के लिए मामला यह है कि

केवल एक विधिवत योग्य विशेषज्ञ के साक्ष्य से कि यह कर सकता है यह पता लगाया गया है कि क्या चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है

केवल साक्ष्य ही इस विवाद को सुलझा सकते हैं कि क्या वे संभवतः एक आग्नेयास्त्र के कारण हो सकते हैं

दलीप सिंह और एक महत्वपूर्ण बिंदु पर गोलियां चलाई गईं अभियोजन पक्ष को जो साबित करना था वह यह था कि ये शॉट

गोली इस तरह से और इतनी दूर से चलाई गई कि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा आरोप लगाया गया है "।

(जोर दिया गया)

10 ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 415 राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. बनाम। हरियाणा राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

29. मोहिंदर सिंह के फैसले पर इस अदालत की एक समन्वित पीठ द्वारा विचार किया गया था जिसमें गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य ("गुरुचरण सिंह") के तीन न्यायाधीश भी शामिल थे। गुरुचरण सिंह के मामले में अदालत ने कहा कि पहले के फैसले में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी ने मृतक को बंदूक से गोली मार दी थी, लेकिन

ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक को राइफल से चोट लगी थी और यह साबित करने के लिए विधिवत योग्य विशेषज्ञ का कोई सबूत नहीं था कि चोटें बंदूक से लगी थीं। इसके अलावा, चोटों की प्रकृति ऐसी थी कि गोली एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा चलाई गई होगी और यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि किसी अन्य व्यक्ति ने भी गोली चलाई थी।

शूटिंग में। मौखिक साक्ष्य उदासीन गवाहों का नहीं था। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उस पृष्ठभूमि में, एक विशेषज्ञ की जांच करने में विफलता अभियोजन मामले में एक गंभीर दुर्बलता थी। मोहिंदर सिंह के मामले में पहले के फैसले में सामने आए तथ्यों को स्पष्ट करते हुए, गुरुचरण सिंह की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहाः

" 41. [...] यह ध्यान दिया जाएगा कि ये टिप्पणियां ऐसे मामले में की गई थीं जहां अभियोजन पक्ष के साक्ष्य गंभीर दुर्बलता से पीड़ित थे और इन टिप्पणियों के प्रभाव को निर्धारित करने में, उन तथ्यों को भूलना उचित या उचित नहीं होगा जिनके संबंध में वे किए गए थे। इन टिप्पणियों का उद्देश्य एक अनम्य नियम निर्धारित करना नहीं है कि प्रत्येक मामले में जहां एक आरोपी व्यक्ति पर घातक हथियार से हुई हत्या का आरोप लगाया जाता है, अभियोजन पक्ष का मामला केवल तभी आरोप साबित करने में सफल हो सकता है जब एक विशेषज्ञ की जांच की जाए। ऐसे मामलों की कल्पना करना संभव है जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य इस तरह के निर्दोष चरित्र का है और पोस्टमॉर्टम नोटों द्वारा प्रकट की गई चोटों की प्रकृति इतनी स्पष्ट है प्रत्यक्ष साक्ष्य के अनुरूप कि एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की परीक्षा को आवश्यक नहीं माना जा सकता है। जहाँ सीधे

साक्ष्य संतोषजनक या उदासीन नहीं है या जहां चोटों का आरोप बंदूक से लगाया गया है और वे प्रथम दृष्टया राइफल से लगाए गए प्रतीत होते हैं, निस्संदेह स्पष्ट है

असंगति को ठीक किया जा सकता है या मौखिक साक्ष्य हो सकता है

एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्ष्य का नेतृत्व करके पुष्टि की गई। किन मामलों में अभियोजन मामले के सबूत के लिए एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच आवश्यक है, स्वाभाविक रूप से इस पर निर्भर होना चाहिए प्रत्येक मामले की
परिस्थितियाँ। इसलिए, हमें नहीं लगता कि श्री पुरुषोत्तम एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में तर्क देने में सही हैं कि

11 (1963) 3 एससीआर 585 [2020] 14 एससीआर

प्रत्येक मामला जहाँ एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा एक आग्नेयास्त्र का उपयोग किए जाने का आरोप लगाया जाता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष को एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्ष्य का नेतृत्व करना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष साक्ष्य कितना भी अच्छा हो और हालांकि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं हो सकता है।

उक्त प्रत्यक्ष साक्ष्य पर संदेह करने का कारण।

अतः, गुरुचरण सिंह मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस आशय का कोई कठोर नियम नहीं है कि अभियोजन पक्ष घातक हथियार से कथित हत्या के आरोप को साबित करने में तभी सफल हो सकता है जब किसी विशेषज्ञ की जांच की जाए। जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य एक का है निर्दोष चरित्र और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट द्वारा प्रकट की गई चोटों की प्रकृति स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष साक्ष्य के अनुरूप है,

एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जाँच आवश्यक नहीं हो सकती है। इसके विपरीत, एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ का साक्ष्य महत्वपूर्ण होगा जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य संतोषजनक नहीं है, या इच्छुक गवाहों का है या जहां चोटों की प्रकृति के लिए विशेषज्ञ पुष्टि की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, क्या एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की परीक्षा आवश्यक है, यह निर्भर करता है

तथ्यात्मक संदर्भ में जैसा कि यह प्रत्येक मामले में उभरता है।

30. सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 2 ("सुखवंत")

सिंह "), इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि

जाँच अधिकारी बरामद की गई खाली और सीलबंद पिस्तौल भेजेगा

परीक्षण के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण चूक थी। इस संदर्भ में पीठ ने कहाः

" 21. [...] इस बात पर शायद ही जोर देने की आवश्यकता है कि ऐसे मामलों में जहां आग्नेयास्त्रों से चोटें आती हैं, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय काफी महत्वपूर्ण है जहां एक आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए जांच के दौरान आग्नेयास्त्र और अपराध कार्ट्रिज दोनों बरामद किए जाते हैं। विशेषज्ञ की राय देने में विफलता

ऐसे मामलों में निचली अदालत के समक्ष ऋण योग्यता प्रभावित होती है।

अभियोजन पक्ष के मामले में काफी हद तक "।

31. पंजाब राज्य बनाम जुगराज सिंह 1 3 13 ("जुगराज सिंह"), ए

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुखवंत सिंह के मामले में निर्णय को अलग किया और कहा कि उस मामले में दो चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को अस्वीकार्य माना गया था क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के संदर्भ में उनकी जांच नहीं की गई थी और अदालत पी. डब्ल्यू. 3 की एकमात्र गवाही पर भरोसा नहीं करती थी। इसलिए, एक विशेषज्ञ राय देने में विफलता थी

12 (1995) 3 एस. सी. सी. 367

13 (2002) 3 एस. सी. सी. 234 राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. बनाम। हरियाणा राज्य

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

अभियोजन पक्ष के मामले की साख योग्यता को प्रभावित करने के लिए अभिनिर्धारित। में। जुगराज सिंह, अदालत ने कहा किः कहीं भी (सुखवंत सिंह में) यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया था कि विशेषज्ञ की राय प्रस्तुत करने में विफलता के कारण सभी मामलों में अभियोजन पक्ष के बयान पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, जुगराज सिंह के मामले में, न्यायालय ने कहाः

" 18. तत्काल मामले में जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब्त की गई बंदूकें काम करने की स्थिति में नहीं थीं और उन्होंने अपने विवेक से पाया कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ को उनकी राय के लिए भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जाँच अधिकारी के सामने यह पता लगाने के लिए कोई और सवाल नहीं रखा गया कि बंदूकों के दोषपूर्ण होने के बावजूद फायर पिन क्रम में था या नहीं। दो चश्मदीद गवाहों के विश्वसनीय साक्ष्य और अन्य उपस्थित परिस्थितियों की उपस्थिति में हम यह नहीं पाते हैं कि इस मामले में विशेषज्ञ की गैर-जांच में, किसी भी मामले में,

जिस तरह से, द्वारा प्रस्तुत संस्करण की साख को प्रभावित किया

प्रत्यक्षदर्शी "।

32. विनीत कुमार चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1 4 में, दो न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाया हैः

" 11. यह एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक में

मामला जहां एक आरोपी व्यक्ति द्वारा कथित रूप से एक आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाता है, अभियोजन पक्ष को आरोप को साबित करने के लिए एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्ष्य का नेतृत्व करना चाहिए, चाहे रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य की गुणवत्ता कुछ भी हो। इस बात पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है कि जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य इस तरह के निर्दोष चरित्र का है, और पोस्टमॉर्टम नोटों द्वारा प्रकट की गई चोटों की प्रकृति प्रत्यक्ष साक्ष्य के अनुरूप है, तो बैलिस्टिक विशेषज्ञ की परीक्षा नहीं हो सकती है

आवश्यक माना जाता है। हालाँकि, जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है या इस बारे में कुछ संदेह है कि चोटें किसी विशेष हथियार के कारण हो सकती हैं या नहीं,

एक स्पष्ट विसंगति को ठीक करने या मौखिक साक्ष्य की पुष्टि के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ की परीक्षा वांछनीय होगी।

33. गोविंदराजू बनाम राज्य 1 5 में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जिसमें एफ. एस. एल. के किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया था।

जाँच की गई। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, अदालत ने डॉक्टर जैसे भौतिक गवाहों को पेश न करने का उल्लेख किया, जिन्होंने पद का प्रदर्शन किया था।

14 (2007) 14 एससीसी 660

15 (2012) 4 एससीसी 722 [2020] 14 एस. सी. आर.

और पीड़ितों की जाँच की, और हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल,

घटना स्थल पर पहुंचे। क्योंकि अन्य गवाह अभियोजन पक्ष भी मुकर गया था, अदालत ने एक आकर्षित किया

इनकी जाँच न करने के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ निष्कर्ष निकालना

गवाह हैं। न्यायालय ने कहाः

" 63. हमारे सामने की गई दलीलों में निश्चित रूप से कुछ सामग्री है कि डॉक्टर जैसे भौतिक गवाहों को पेश नहीं किया गया, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया और मृत घोषित किए जाने से पहले पीड़ित की जांच की, साथ ही हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचे। और अन्य दो गवाह मुकर जाते हैं, अभियोजन पक्ष के मामले में एक उचित संदेह पैदा करते हैं और अदालत को भी भौतिक गवाहों से पूछताछ नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए। हम पहले से ही प्रशंसा पर ध्यान दे चुके हैं

वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कुछ हद तक साक्ष्य। अभियोजन पक्ष के मामले में कमी है क्योंकि उसे इन गवाहों की मदद से अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए था, जिसे उसने पहले पेश नहीं करने का फैसला किया था।

अदालत, उनकी उपलब्धता के बावजूद। [.....]

66. तखाजी हीराजी [(2001) 6 एस. सी. सी. 145 में यह न्यायालयः 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1070] ने स्पष्ट रूप से कहा कि भौतिक गवाह वह है जो घटना की उत्पत्ति या घटना के एक आवश्यक हिस्से को उजागर करेगा। अभियोजन पक्ष के मामले में और ऐसे गवाहों की जांच करके अभियोजन पक्ष के मामले में अंतराल या दुर्बलता प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसे गवाह से बिना किसी औचित्य के पूछताछ नहीं की जाती है, तो अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष के खिलाफ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तथ्य यह है कि

गवाह जो कथा को उजागर करने के लिए आवश्यक थे

अभियोजन पक्ष निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। जब अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाह शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं, तो अभियोजन पक्ष की अन्य सभी भौतिक गवाहों से पूछताछ करने की आवश्यकता अधिक होती है जो साबित करके श्रृंखला को पूरा करने में गवाही दे सकते हैं। तथ्य। इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा याकूब इस्माइलभाई पटेल बनाम में दोहराया गया था। गुजरात राज्य [(2004) 12 एस. सी. सी 229: 2004 एससीसी (सीआरआई)

196] . "

34. जिस उदाहरण की हमने ऊपर समीक्षा की है, वह इस प्रकार खा जाएगा कि कोई अनम्य नियम नहीं है जिसके लिए राजेश @सारकारी और ए. एन. आर. बनाम को अभियोजन की आवश्यकता है।

हरियाणा राज्य [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

हर उस मामले में एक बैलिस्टिक परीक्षक की जांच करें जहां कथित तौर पर एक आग्नेयास्त्र के उपयोग से हत्या की गई हो। मोहिंदर सिंह (1953) में निर्णय को गुरुचरण सिंह (1963) में एक समन्वित पीठ द्वारा समझाया गया है। इसके बाद, प्राधिकरण की रेखा से जो सिद्धांत सामने आया है, जिसे हमने पहले देखा है, वह यह है कि किसी दिए गए मामले में अभियोजन पक्ष की विफलता, एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच करने के लिए, साक्ष्य की प्रकृति के समग्र संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाना चाहिए जो उपलब्ध है। जब एक निर्दोष चरित्र का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होता है और चोटों की प्रकृति प्रत्यक्ष साक्ष्य के अनुरूप होती है, तो एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ की परीक्षा पर जोर देने की आवश्यकता नहीं होती है।

अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करने की शर्त। दूसरी ओर, जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है या उस साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में संदेह है, बैलिस्टिक परीक्षक की जांच करने में विफलता महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान मामले में, अपराध के हथियारों को एक अन्य प्राथमिकी (एफ. आई. आर. No.311 दिनांक 19 मई 2006) में जांच के संदर्भ में बरामद किया गया था। हथियार थे

उस मामले में W/1 और W/2 के रूप में चिह्नित किया गया। वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. संख्या 781 में जांच से उत्पन्न तीसरी एफ. एस. एल. रिपोर्ट हथियार डब्ल्यू/1 से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, तीसरी एफएसएल रिपोर्ट में गलत तरीके से हथियार डब्ल्यू/2 को आरोपी राजेश उर्फ सरकारी बताया गया है। बैलिस्टिक परीक्षक को हथियार डब्ल्यू/2 उपलब्ध कराया गया था या नहीं, यह एक ऐसा मामला था जिसे समझाया जा सकता था अगर अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य का नेतृत्व करता। अभियोजन पक्ष ने एक बैलिस्टिक परीक्षक को गवाह के रूप में उद्धृत किया और फिर भी, अपने साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया। इसे इस तथ्य के आलोक में जोड़ा जाना चाहिए कि पीडब्लू4 और पीडब्लू5 का चश्मदीद गवाह विवरण संदेह से मुक्त नहीं है। हमने पीडब्लू4 और पीडब्लू5 के साक्ष्य का भी विश्लेषण किया है और नोट किया है कि संदेह का एक गंभीर तत्व है कि क्या वे घटना स्थल पर गवाह थे। इस संदर्भ में, न्यायालय को यह मानना चाहिए कि एफ. एस. एल. रिपोर्ट में देखी गई विसंगतियों को एफ. एस. एल. रिपोर्ट के लेखकों द्वारा एफ. आई. आर. संख्या 311/2006 और एफ. आई. आर. संख्या 781/2006 दोनों में सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता था। ऐसा न किए जाने पर, हमारे विचार में, अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार होगा।

35. अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया है कि पीडब्लू4 एक चश्मदीद गवाह नहीं था क्योंकि उसने बयान दिया था कि संदीप पर 4-5 फुट की दूरी से गोली चलाई गई थी

जो चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। वे आग्रह करते हैं कि मृतक के शरीर पर बंदूक की कुछ चोटों का काला होना इस बात का निर्णायक प्रमाण है कि गोलीबारी निकट दूरी से की गई होगी, जो [2020] 14 एस. सी. आर.

2 फीट से कम हो सकता है। 1 6 चूँकि पीडब्लू4 और पीडब्लू5 के बयान कई भौतिक विरोधाभासों और सुधारों से ग्रस्त हैं; और एफएसएल रिपोर्टों में गंभीर विवादों के आलोक में बैलिस्टिक विशेषज्ञ की गैर-जांच ने अभियोजन पक्ष की कहानी पर छाया डाल दी है, इसलिए हमें चोटों को काला करने पर अतिरिक्त तर्क से निपटने की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षण पहचान परेड 1 7 से गुजरने से इनकार

टिप। जिन परिस्थितियों में अपीलकर्ताओं ने एक टी. आई. पी. को अस्वीकार कर दिया, उनसे निपटने से पहले, इस विषय पर इस न्यायालय से पूर्ववर्ती की जांच करना आवश्यक हो जाता है। इस न्यायालय का एक उदाहरण एक टी. आई. पी. के संचालन के उद्देश्य पर आधारित है, जो ऐसा करने के लिए अन्वेषक के अधिकार का स्रोत है, जिस तरीके से ये कार्यवाहियां संचालित की जानी चाहिए, टी. आई. पी. के दौरान पहचान के लिए भार निर्धारित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां जिनमें प्रक्रिया से गुजरने से इनकार करने वाले अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये सिद्धांत जो इस न्यायालय के उदाहरणों से सामने आए हैं, उनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

टी. आई. पी. आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति दावा करते हैं

(1)

घटना के समय अपराधी को देखने के लिए उन्हें अन्य व्यक्तियों के बीच से पहचाने बिना
किसी भी स्रोत से शिक्षण या सहायता। एक पहचान परेड, दूसरे शब्दों में, गवाहों की स्मृति का परीक्षण करती है, ताकि अभियोजन पक्ष यह निर्धारित कर सके कि क्या उनमें से किसी या सभी को अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।

((ख)

सी. आर. पी. सी. में या तो कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 1 8 जो एक पहचान परेड को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। पहचान परेड अपराध की जांच के चरण से संबंधित है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को आरोपी को टी. आई. पी. का दावा करने का अधिकार देने के लिए मजबूर करता हो।

(iii) पहचान परेड को उस संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 का प्रावधान;

16 (2016) 2 एस. सी. सी. 607 17 टी. आई. पी.

18 साक्ष्य अधिनियम एच @सारकारी और ए. एन. आर. बनाम। हरियाणा राज्य या। धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आयोजित होने से पहले गवाहों को दिखाया जाना; अदालत में अभियुक्त की पहचान

ठोस सबूत; तथ्य जो अभियुक्त व्यक्ति की पहचान स्थापित करते हैं

साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक माना जाता है; एक टी. आई. पी. पहचान की पुष्टि कर सकता है

अदालत में गवाह, यदि आवश्यक हो;

विवेक के नियम के रूप में, न्यायालय, आम तौर पर,

अदालत में अभियुक्त की गवाह की पहचान की पुष्टि, पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में देखें। विवेक का नियम अपवाद के अधीन है जब अदालत किसी विशेष गवाह के साक्ष्य पर इस तरह के या अन्य पुष्टि के बिना भरोसा करना सुरक्षित समझती है।

चूँकि टी. आई. पी. ठोस साक्ष्य का गठन नहीं करता है, इसलिए इसे धारण करने में विफलता वास्तव में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाती है। इस तरह की पहचान के साथ जो भार जुड़ा हुआ है, वह अदालत द्वारा उस परिस्थितियों में निर्धारित किया जाने वाला मामला है।

विशेष मामला; टी. आई. पी. या अदालत में अभियुक्त की पहचान हर उस मामले में आवश्यक नहीं है जहां अपराध उन परिस्थितियों के आधार पर स्थापित किया जाता है जो प्रकृति को आश्वासन देती हैं।

और साक्ष्य की गुणवत्ता; और

तथ्य की अदालत, प्रत्येक मामले के संदर्भ और परिस्थितियों में, यह निर्धारित कर सकती है कि क्या इसमें भाग लेने से इनकार करने के लिए अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

एक टिप। हालांकि, अदालत किसी निष्कर्ष में प्रवेश करने से पहले पर्याप्त प्रकृति की पुष्टि करने वाली सामग्री की तलाश करेगी।

अभियुक्त के अपराध को ध्यान में रखते हुए।

' ये सिद्धांत समय के साथ विकसित हुए हैं और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1. मातृ वी। उत्तर प्रदेश राज्य [(1971) 2 एस. सी. सी. 75: 1971 एससीसी (क्रि) 391]

2. संतोख सिंह बनाम। इजहार हुसैन [(1973) 2 एससीसी 406: 1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 828]

3. मलखानसिंह बनाम। एम. पी. राज्य [(2003) 5 एस. सी. सी. 746: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1247]

4. विश्वेश्वरन बनाम. राज्य [(2003) 6 एस. सी. सी 73]

5. मुंशी सिंह गौतम बनाम। एम. पी. राज्य [(2005) 9 एस. सी. सी. 631]

6. सिद्धार्थ वशिष्ठ @मनु शर्मा बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [(2010) 6 एससीसी 1],

7. अश्विनी कुमार और अन्य। वी. पंजाब राज्य (2015) 6 एससीसी 308।

8. मुकेश और ओआरएस। वी. एन. सी. टी. दिल्ली और अन्य के लिए राज्य। एआईआर 2017 एससी 2161।

38. इन सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, यह आवश्यक होगा कि

वर्तमान मामले में साक्ष्य की जांच करें। पीडब्लू4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान कहा कि मृतक 2-3 मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा था और वह अपने बेटे का मुचलका था। उन्होंने इस तथ्य से अनजान होने का दावा किया कि मृतक रोहतक के पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में आई. पी. सी. की धारा 454 और 380 के तहत एफ. आई. आर. संख्या 341/2001 से उत्पन्न आपराधिक मामले में राजेश उर्फ सरकारी के साथ सह-आरोपी था। न ही उन्हें पता था कि क्या उन दोनों को 24 जून 2001 को प्राथमिकी संख्या 341 से उत्पन्न मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह, पीडब्लू5 ने अपनी जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उसे नहीं पता था कि मृतक एफ. आई. आर. संख्या 341 से उत्पन्न मामले में राजेश उर्फ सरकारी के साथ सह-आरोपी था या नहीं। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें एक सुझाव दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, कि वह और उनके पिता (पीडब्लू 4) अदालत जाते थे जब उनके भाई मृतक संदीप और वर्तमान आरोपी राजेश उर्फ सरकारी को सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर अदालत में पेश किया जा रहा था। उन्होंने

इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि पी. डब्ल्यू. 4 अदालत में सुनवाई की हर तारीख को आएगा। जब पी. डब्ल्यू. 5 से जिरह के दौरान पूछा गया कि क्या उसने अखबारों में आरोपी राजेश की तस्वीरें देखी हैं, तो उसने कहाः

" मैंने कभी भी अखबारों में आरोपी राजेश उर्फ सरकारी की तस्वीरें नहीं देखी हैं। इस आरोपी की तस्वीरें अखबारों में कई बार छपी होंगी लेकिन मैंने अखबार में उसकी तस्वीरें कभी नहीं देखी हैं। मुझे राजेश उर्फ सरकारी के चेहरे से नफरत है और इसी वजह से मैंने उनकी तस्वीर नहीं देखी। अखबार "।

39. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह आग्रह करने की मांग की है कि उन तीनों प्रकाशनों में से जो में साबित हुए थे

साक्ष्य के अनुसार, केवल एक में अभियुक्तों के नाम थे।

हालांकि, इस मामले में केंद्रीय बिंदु यह है कि क्या पीडब्लू4 और पीडब्लू5 की प्रतिपरीक्षा के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर, अपीलकर्ताओं के खिलाफ टीआईपी से गुजरने से इनकार करने के लिए एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अभिलेख पर साक्ष्य इंगित करते हैं कि मृतक के खिलाफ न केवल कई आपराधिक मामले थे, जिनमें से कुछ समझौते के कारण बरी हो गए थे, बल्कि अपीलकर्ताओं में से एक, राजेश उर्फ सरकारी और मृतक 23 जून 2001 को आई. पी. सी. की धारा 454 और 380 के तहत रोहतक के पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में आई. पी. सी. की धारा 341 से उत्पन्न मामले में सह-अभियुक्त थे। जाहिर है कि उन दोनों को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, यही कारण है कि पीडब्लू5 ने बयान दिया कि जब संदीप और राजेश को सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर पेश किया जा रहा था तो उनके पिता पीडब्लू4 अदालत जाते थे। पीडब्लू4 ने यह भी कहा कि वह विभिन्न आपराधिक मामलों में अपने बेटे के लिए जमानत पर खड़ा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि टी. आई. पी. से गुजरने से इनकार इस तथ्य से होता है कि संदीप और राजेश एक-दूसरे को पहले से जानते थे।

घटना और वह पीडब्लू4, जो एक प्रमुख चश्मदीद गवाह है, ने राजेश को सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित होने के दौरान देखा था, ऐसा नहीं कर सकता।

तथ्य, जैसा कि वे सामने आए हैं। किसी भी स्थिति में, जैसा कि हमने देखा है, टी. आई. पी. के दौरान पहचान का उद्देश्य अभियुक्त की पहचान का आश्वासन देना है। अपराध का निष्कर्ष विशुद्ध रूप से अभियुक्त द्वारा पहचान परेड से गुजरने से इनकार करने पर आधारित नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि घटना स्थल पर कथित चश्मदीद गवाह पीडब्लू4 और पीडब्लू5 की उपस्थिति गंभीर रूप से संदेह में है। खाली कारतुस को जोड़ने वाले बैलिस्टिक साक्ष्य और मृतक के शरीर से अपराध के कथित हथियार से बरामद गोलियां विरोधाभासी हैं और गंभीर दुर्बलता से ग्रस्त हैं।

कारावास। अपीलार्थियों को बरी करने वाले वर्तमान फैसले के परिणामस्वरूप, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और उनके जमानत बांड को तब तक रद्द कर दिया जाएगा जब तक कि वे किसी अन्य मामले के संबंध में वांछित हैं। उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

41. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।